

निविदा दस्तावेज

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

में

सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए सेवा अनुबंध



आंचलिक कार्यालय (उत्तर)

पिकप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर

लखनऊ-226010

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आंचलिक कार्यालय (उत्तर)
पिकप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर
लखनऊ- 226010

जेडओएल/प्रशा./59/खण्ड-VI/


01 मार्च 2016

निविदा आमंत्रण सूचना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, लखनऊ निम्नलिखित कार्य के लिए दोहरी बोली प्रणाली में मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है।

कार्य का नाम	:- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ और परियोजना कार्यालय आगरा और उसके प्रबोधन केन्द्रों में सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए सेवा अनुबंध।
निविदा की लागत	:- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पक्ष में रु. 500/- का गैर वापसी डिमांड ड्राफ्ट
बयाना राशि	:- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रु. 10,000/-
निविदा बिक्री प्रारंभ होने की तारीख	:- 07.03.2016 11.00 बजे से
निविदा बिक्री की अंतिम तारीख	:- 06.04.2016 11.00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तारीख	:- 06.04.2016 2.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	:- 06.04.2016 3.00 बजे तक

नोट: निविदा दस्तावेज सीपीसीबी की वेबसाइट www.cpcb.nic.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। निविदा दस्तावेज को डाउनलोड करने की स्थिति में बोलीदाता को निविदा प्रस्तुत करते समय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को देय 500/-रु. डिमांड ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य है, डिमांड ड्राफ्ट जमा न करने पर निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।


03/03/16
प्रभारी, आंचलिक कार्यालय
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

निविदा आमंत्रण सूचना

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) आंचलिक कार्यालय (उत्तर), पिकप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ एवं परियोजना कार्यालय, 04, धौलपुर हाउस, एम. जी. रोड, आगरा में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए प्रतिष्ठित और अनुभवी फर्म से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है।

1. निविदा दस्तावेज कार्यालय में बिक्री के लिए सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान दिनांक **07.03.2016** से **06.04.2016** को प्रातः 11.00 बजे तक उपलब्ध होंगे। निविदा दस्तावेज केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution control Board) की वेबसाइट www.cpcb.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज को डाउनलोड करने की स्थिति में निविदा प्रस्तुत करते समय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को देय रु. 500/- का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य है। डिमांड ड्राफ्ट जमा न करने पर निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. निविदा तीन अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में सभी संदर्भों अर्थात् एक 'बयाना राशि' के लिए, दूसरा लिफाफा तकनीकी बोली के लिए तथा तीसरा लिफाफा मूल्य बोली के लिए विधिवत् रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए। संबंधित मुहरबंद लिफाफे के ऊपर उस बोली का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। निविदा जमा करने के पत्र के साथ सभी तीनों बोलियां एक मुहरबंद लिफाफे में होनी चाहिए तथा उस मुहरबंद लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (उत्तर), लखनऊ एवं परियोजना कार्यालय - आगरा में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराना" स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।
3. मुहरबंद निविदाएं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (उत्तर), पिकप भवन, भूतल, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ को डाक/कोरियर आदि द्वारा प्रेषित अथवा स्वागत कक्ष में रखी निविदा पेटी में दिनांक **06.04.2016** को दोपहर **2.00** बजे तक व्यक्तिगत रूप में डाली या भेजी जानी चाहिए। तकनीकी बोली दिनांक **06.04.2016** को सायं **3.00** बजे खोली जाएगी।



4. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पक्ष में 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये मात्र) की बयाना राशि (ई.एम.डी.) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देय है।
5. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकार की जाएगी उसे अपने अनुबंध की पूर्ति के लिए रु. 40,000-(रुपये चालीस हजार मात्र) की सिक्योरिटी जमा करना होगा।
6. केवल न्यूनतम दर निविदा को स्वीकार करने का आधार नहीं होगी। सीपीसीबी बिना किसी कारण बताए हुए निविदाओं में से किसी एक या सभी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निर्धारित शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा न करने या किसी भी संबंध में अधूरी निविदाओं को अस्वीकार किया जाएगा।
7. निविदा के संबंध में किसी भी रूप में सिफारिश करना सख्त वर्जित है और सिफारिश के सहारे प्रस्तुत की गई निविदाएं अस्वीकृत कर दी जाएगी।
8. सभी दरें निविदा में उचित प्रारूप में उद्धृत की जानी चाहिए।
9. निविदादाता द्वारा निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
10. मुहरबंद न की गयीं निविदाओं को पूर्णतया खारिज किया जा सकता है।

reg

तकनीकी बोली

प्रभारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), आंचलिक कार्यालय, लखनऊ एक वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षा गार्डों की सेवाएं प्रदान करने के लिए ऐसे एजेंसियों से निविदा आमंत्रित करता है, जो पंजीकृत तथा प्राधिकृत होने के साथ-साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू और बड़ी प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने में अनुभव और विशेषज्ञता रखते हैं। एक वर्ष की अवधि के बाद इन्हीं नियम और शर्तों के आधार पर आपसी सहमति से निविदा की अवधि अतिरिक्त एक या अधिक वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है।

1. (क) सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के स्थान :

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (उत्तर), पिकप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, प्रबोधन केंद्र विकास खंड, गोमती नगर, लखनऊ तथा जाजमऊ स्थित लाइफोलाईजर प्लांट, कानपुर एवं

04 धौलपुर हाउस, एमजी रोड, परियोजना कार्यालय, आगरा एवं आगरा स्थित 03 प्रबोधन केंद्र ।

(ख) कार्य का संक्षिप्त विवरण:

एजेंसी समय-समय पर सीपीसीबी के विभिन्न प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा लिखित या सूचित की गई आवश्यकताओं के अनुसार कार्यालयों में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराकर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करेगा। एजेंसी आठ-आठ घंटों की तीन शिफ्टों (संलग्नक क) अर्थात् चौबीसों घंटे सुरक्षा गार्डों को तैनात करके सीपीसीबी संपत्ति, कर्मचारियों और वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

निविदाकर्ताओं को निविदा प्रस्तुत करने से पहले कार्यालय के स्थान की पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए।

2. कार्य की मात्रा:

1. पार्किंग और निगरानी केंद्रों अर्थात् विकास खंड, लखनऊ एंड (5 एमएलडी एसटीपी) लाइफोलाईजर प्लांट, जाजमऊ, कानपुर और परियोजना कार्यालय, 04, धौलपुर हाउस, एम.जी.रोड, आगरा और इसके प्रबोधन केंद्रों अर्थात् नुनहई, रामबाग, एतमाद्दौला, आगरा सहित आंचलिक कार्यालय (उत्तर), पिकप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ में सुरक्षा गार्डों को तैनात करके सुरक्षा प्रदान करना।

2. निविदा जमा करने के लिए अनुदेश अनुपालन हेतु नीचे निर्धारित किए गए हैं:-

(क) **निविदाकार के बारे में जानकारी:** - निविदाकार को परिशिष्ट-1 में मांगी गई जानकारी के संबंध में पूर्ण, संक्षिप्त और सटीक विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(ख) **निविदाओं पर हस्ताक्षर:** निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को यह बताना होगा कि वह किसी फर्म के एकल मालिक या एक लिमिटेड कंपनी के सचिव/प्रबंधक/प्रबंध निदेशक, आदि हैं।

3. **बयाना राशि:**

प्रत्येक निविदा के साथ 10,000 रुपये (रुपये दस हजार मात्र) की बयाना राशि प्रतिष्ठित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पक्ष में देय होनी चाहिए। बोली के साथ बयाना राशि नहीं होने पर बोली को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा।

यदि निविदाकार अपनी निविदा जमा करने के बाद प्रस्ताव एवं निविदा से संबंधित किसी भी नियमों और शर्तों में परिवर्तन करता है तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। निविदा के सफल होने पर आवश्यक सिक्योरिटी राशि जमा कराने में असफल होने की स्थिति में भी निविदाकार की बयाना राशि जब्त की जा सकती है। इसके अलावा, निर्धारित समय और तारीख से काम शुरू न करने पर भी बिना किसी अन्य अधिकारों और उपायों के एजेंसी की बयाना राशि जब्त की जा सकती है। सभी असफल निविदाकारों की बयाना राशि बिना किसी ब्याज के यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी। किसी भी स्थिति में बयाना राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज भुगतान नहीं किया जाएगा।

4. **सिक्योरिटी डिपॉजिट:**

(क) सफल निविदाकर्ता को उसकी निविदा स्वीकृति के एक सप्ताह के भीतर रु. 40,000/- (रुपये चालीस हजार मात्र) की सिक्योरिटी जमा करनी होगी।

(ख)

(i) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में देय **सिक्योरिटी डिपॉजिट** परिशिष्ट-11 पर उल्लिखित किसी भी रूप में की जा सकती है।

(ii) निविदाकार द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी राशि इस निविदा के परिशिष्ट में दिए गए नियमों और शर्तों के अधीन होगी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण

Any

बोर्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ब्याज या उसके मूल्यहास के लिए किसी भी प्रकार का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

- (iii) यदि सफल निविदाकर्ता ने इससे पहले किसी भी अनुबंध के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कराया था तो उसे इस निविदा में समायोजित नहीं किया जाएगा और उसे एक नई सिक्योरिटी राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

5. तकनीकी बोली के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज:

क) निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी हैं: -

दस्तावेज़ -I	सुरक्षा सेवा एजेंसी चलाने के लिए वैध लाइसेंस। श्रम आर एंड ए अधिनियम के विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के तहत और अपेक्षित पंजीकरण प्रमाण-पत्र। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, ईएसआईसी आदि
दस्तावेज़-II	बोलीदाता को सफलतापूर्वक पिछले तीन वर्ष में किसी भी सरकारी विभागों/उपक्रमों के साथ न्यूनतम 2 (दो) वर्ष की अवधि के अनुबंध में समान प्रकार के कार्य को क्रियान्वित करने का अनुभव होना चाहिए था और सुरक्षा सेवा प्रदान करने के लिए पिछले पांच सालों से प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ निरंतर अनुबंध को क्रियान्वित / संचालित कर रहा हो दस्तावेजी प्रमाण संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
दस्तावेज़-III	ठेकेदार के सुरक्षा कर्मियों के संबंध में पुलिस सत्यापन अद्यतन प्रमाण पत्र। जिसका नाम पीएफ / ईएसआई रिटर्न में दिखाई देता है।
दस्तावेज़-IV	पॉवर ऑफ अटॉर्नी की अनुप्रमाणित प्रतियां
दस्तावेज़-V	फर्म के आयकर का पैन नंबर।
दस्तावेज़-VI	समझौता ज्ञापन और संस्था के नियमों की अनुप्रमाणित प्रतियां, जो भी आवश्यक हो।
दस्तावेज़-VII	सभी भागीदारों / निदेशकों / मालिकों के नाम और पते।
दस्तावेज़-VIII	ईएसआईसी / ईपीएफ पंजीकरण संख्या और पीएफ / ईएसआईसी रिटर्न की प्रतिलिपि।
दस्तावेज़-IX	बैंकर्स का नाम, पिछले तीन साल की आयकर रिटर्न की प्रतियां ।
दस्तावेज़ -X	बयाना राशि जमा।
दस्तावेज़ - XI	एनआईटी, निविदा दस्तावेज, इसकी सभी सूचियों तथा परिशिष्टों में वर्णित दस्तावेज़।
दस्तावेज़ -XII	सर्विस टैक्स पंजीकरण संख्या और पंजीकरण प्रमाण-पत्र की

my

	प्रतिलिपि।
दस्तावेज़-XIII	फर्म PASARA (निजी सुरक्षा विनियमन अधिनियम) के साथ पंजीकरण होना चाहिए (प्रति संलग्न करें)
दस्तावेज़- XIV	फर्म का वार्षिक कारोबार 1 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए। दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया जाए।
दस्तावेज़ -XV	फर्म ने कम से कम 03 सरकारी संगठनों के साथ काम किया हो। इस के लिए करार / अधिनिर्णय का प्रति संलग्न होनी चाहिए।
दस्तावेज़ -XVI	फर्म किसी भी सरकारी विभागों की काली सूची में नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में एक शपथ पत्र संलग्न किया जाय।
दस्तावेज़ -XVII	सुरक्षा क्षेत्र कौशल विकास परिषद (SSSDC) से संबद्ध होना चाहिए। दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया जाए।
दस्तावेज़ -XVIII	फर्म आई एस ओ से प्रमाणित होना चाहिए। दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया जाए।

ख) निविदाकार को सभी नियम और शर्तों और उसी की स्वीकृति के लिए निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर और मुहर लगानी होगी तथा इसे तकनीकी बोली के साथ संलग्न किया जाना होगा।

(7) निविदाओं की डिलीवरी

- (क) उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वाली निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (ख) बोली के साथ 10 हजार रुपये (दस हजार रुपये) की बयाना राशि के रूप में सी.पी.सी.बी., लखनऊ के पक्ष में प्रतिष्ठित बैंक का ड्राफ्ट संलग्न होना चाहिए।
- (ग) सभी साख-पत्र, दस्तावेज तथा मांगे गए सभी प्रमाण-पत्र/सूचना की प्रतियां निविदा दस्तावेज के अनुसार बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
- (घ) इस संबंध में यदि सी.पी.सी.बी. द्वारा कोई अपेक्षित स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो निर्धारित समय सीमा में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी या किसी भी दस्तावेज की जांच करने का अधिकार सी.पी.सी.बी. के पास है।
- (ङ) निविदाकर्ता को स्पष्ट रूप से यह समझना होगा कि अनुबंध के किसी भी चरण में उसे किसी भी नियम/शर्त को बदलने या वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा।
- (च) निविदाकार को निविदा दस्तावेज स्पष्ट, साफ तथा ठीक से भरना होगा। निविदा दस्तावेज पर कोई भी काट-छांट या इरेजर या ओवर-राइटिंग होने से निविदा को अवैध माना जाएगा। यदि कोई काट-छांट जरूरी हो, तो वह निविदाकार के पूर्ण हस्ताक्षर के साथ अनुप्रमाणित होनी चाहिए।

ay

(8) निविदा खुलना

निविदा उपर्युक्त तारीख तथा समय पर सी.पी.सी.बी., लखनऊ के भू-तल में स्थित सम्मेलन कक्ष में खोली जाएगी। निविदा खुलने के समय निविदाकार स्वयं या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकता है।

वित्तीय बोली सिर्फ उन्हीं निविदाकर्ताओं की खोली जाएगी, जिनकी तकनीकी बोली सफल पाई जाएगी।

यदि एक से अधिक बोलीदाताओं की बोली न्यूनतम(L 1) पाई जाती है तो कार्य अनुभव की गुणवत्ता, संचालन में वर्षों की संख्या या किसी केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/उपक्रम/संगठन के कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र जैसे अन्य साख-पत्रों के आधार पर सी.पी.सी.बी. न्यूनतम बोलीदाताओं में से किसी भी बोलीदाता को चुनने का अधिकार रखता है।

(9) भ्रष्ट आचरण :-

सी.पी.सी.बी. के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को निविदाकार या उसकी तरफ से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की घूस, कमीशन देने के प्रस्ताव या वादे की स्थिति में निविदा को अवैध माना जाएगा।

(10) साक्षात्कार तथा निविदा की स्वीकृति

यदि प्रभारी या सी.पी.सी.बी. की तरफ से किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निविदाकार को साक्षात्कार के लिए या मुलाकात के लिए बुलाया जाता है तो निविदाकार को अपने खर्च पर हाजिर होना होगा। सी.पी.सी.बी. को बिना कारण बताये किसी एक या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार है और सी.पी.सी.बी. न्यूनतम बोली या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। सफल निविदाकर्ता को उसकी निविदा स्वीकृति की औपचारिक सूचना पत्र/फैक्स द्वारा दे दी जाएगी।

भवदीय,

(पी.के. मिश्रा)

प्रभारी, आंचलिक कार्यालय, लखनऊ

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

सुरक्षा सेवाओं के लिए निविदा पर लागू नियम और शर्तें:

(i) परिभाषा -

- (क) 'अनुबंध/ठेका' शब्द से तात्पर्य, इसमें निविदा आमंत्रण सूचना के साथ-साथ निविदाकार को दिए गए निर्देश, निविदा, इसके अनुबंध, परिशिष्ट, सूचियां, निविदा स्वीकृति और इसमें जोड़ी गई सामान्य और विशेष शर्तें शामिल होंगी।
- (ख) "सी.पी.सी.बी." शब्द से तात्पर्य केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा और इसमें इसके अध्यक्ष, सदस्य सचिव अथवा उनके उत्तराधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भी शामिल होंगे।
- (ग) एम.एस. शब्द का तात्पर्य सदस्य सचिव और उसके उत्तरवर्ती अधिकारी या उत्तरवर्ती अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति होगा।
- (घ) 'एजेंसी/ठेकेदार' शब्द से तात्पर्य और इसमें व्यक्ति या व्यक्ति, फर्म या कंपनी जिसके साथ ठेका किया गया है। इसमें इनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक या प्राधिकृत व्यक्ति भी शामिल होंगे।
- (ङ) 'ठेका दरों' से तात्पर्य सी.पी.सी.बी. के लिए तथा सी.पी.सी.बी. की तरफ से प्रभारी अधिकारी द्वारा स्वीकृत भुगतान की दर से है।
- (च) 'श्रमिक' से तात्पर्य सुरक्षा गार्ड से होगा।

(ii) ठेके की पार्टियां

- (क) ठेके की पार्टियां ठेकेदार तथा सी.पी.सी.बी. जिसका प्रतिनिधित्व प्रभारी अधिकारी या सी.पी.सी.बी. की तरफ से काम करने के लिए अन्य किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।
- (ख) किसी व्यक्ति या किसी फर्म की तरफ से निविदा या निविदा के किसी अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को इस बात के लिए प्रमाणिक व्यक्ति समझा जाएगा कि उस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या फर्म को कानूनी रूप से बाधित करने का अधिकार है। यदि पूछताछ करने पर यह पाया जाता है कि हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है तो सी.पी.सी.बी. आंचलिक कार्यालय के प्रभारी अधिकारी बिना किसी अन्य सिविल, अपराधिक उपचारों के अनुबंध को रद्द कर सकते हैं तथा हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को सभी लागतों तथा नुकसानों के लिए जिम्मेदार घोषित कर सकते हैं।

(iii) ठेकेदारों का गठन

- (क) उन्हीं पार्टियों की निविदाएं वैध मानी जाएंगी जिनके पास उचित प्राधिकरणों से सभी वैधानिक पंजीकरण हो और ठेकेदार को निविदा प्रस्तुत करते समय यह बताना होगा कि उनकी कंपनी एकल स्वामित्व या पंजीकृत साझेदारी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जिसका गठन भारत में हुआ है या फिर हिन्दू अविभाज्य फर्म है। साझेदारी की संरचना, निदेशकों के नाम या हिन्दू अविभाज्य परिवार के कर्ता या कंपनियों के नाम भी सूचित करने होंगे। ठेकेदार को ठेके की अवधि के दौरान इस ठेके से संबंधित कार्य के नियंत्रण और सक्रिय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति को भी नामित करना होगा। इस प्रकार के नामित व्यक्ति के पास ठेकेदार की तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त व्यक्ति समझा जाएगा और इस व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी कार्य ठेकेदार पर लागू होंगे।
- (ख) ठेकेदार ठेके की अवधि के दौरान सी.पी.सी.बी. की पूर्व मंजूरी के बिना फर्म की संरचना में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा। ठेकेदार को किसी भी साझेदार या निदेशक की मृत्यु/इस्तीफे की जानकारी तुरंत सी.पी.सी.बी. को भी उपलब्ध करानी होगी। इस प्रकार की सूचना की प्राप्ति पर सी.पी.सी.बी. अपने विवेकानुसार ठेके को समाप्त करने का अधिकार रखता है।

(iv) उप-पट्टेदारी

सी.पी.सी.बी. की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना ठेकेदार इस ठेके या इसके किसी भाग को उप-पट्टे पर हस्तांतरित या सौंप नहीं सकता। यदि ठेकेदार सी.पी.सी.बी. की इस शर्त का उल्लंघन करते हैं तो उसका ठेका समाप्त कर दिया जाएगा और ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर प्रदान की गई शेष वस्तुओं को किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा और सी.पी.सी.बी. इस प्रकार के नुकसानों और क्षतियों की पूर्ति ठेकेदार से करेगा।

(v) तीसरी पार्टी के साथ संबंध

ठेकेदारों तथा तीसरी पार्टी के बीच सभी प्रकार के लेने-देने किसी भी स्थिति में सी.पी.सी.बी. का संदर्भ दिए बिना दोनों के बीच ही होना चाहिए। ठेकेदारों को यह प्रतिज्ञा देनी होगी कि वह तीसरी पार्टी को उपर्युक्त स्थिति की पूर्ण जानकारी देंगे।



(vi) **कर्मियों की जिम्मेदारी**

ठेकेदारों द्वारा तैनात किए गए सभी व्यक्तियों को ठेका श्रम (आर एंड आर) ठेका अधिनियम, 1970, भारतीय फैक्ट्री अधिनियम और श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत सभी संदर्भ में और सभी जिम्मेदारियों/बाध्यताओं के अधीन अपने स्वयं के कर्मचारियों के रूप में नियोजित किए जाएंगे और इसके अलावा अन्य सभी वैधानिक नियम ठेकेदार पर लागू होंगे।

(क) उक्त कर्मियों द्वारा श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, ई.पी.एफ. अधिनियम, ई.एस.आई. अधिनियम या किसी अन्य विधान/प्रावधान के संदर्भ में सी.पी.सी.बी. के विरुद्ध सभी प्रकार के दावों या ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के कारण किसी भी नुकसान, पेनल्टी, क्षतिपूर्ति, ब्याज, जुर्माने के भुगतान का हर्जाना ठेकेदार द्वारा सी.पी.सी.बी. को दिया जाएगा। सुरक्षा गार्डों के लिए परिवार उपचार कार्ड उपलब्ध कराने के लिए ठेकेदार को सहयोग करना होगा।

(ख) ठेकेदारों को ठेके की संपूर्ण अवधि के दौरान तैनात सुरक्षा गार्डों को कार्य की समय दर आधार या दैनिक आधार पर न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं करना होगा। समय दर या दैनिक आधार पर कार्य की दर दोनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का तात्पर्य अधिकृत प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दरों और समय-समय पर संशोधित दरों से है। ठेकेदार को भविष्य निधि अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनी योजनाओं तथा नियमों के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकरण को अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए आवधिक रिटर्न नियमित रूप से जमा कराने होंगे तथा इस प्रकार के सभी रिकॉर्ड भी रखने होंगे। ठेकेदार को इस प्रकार की सभी रिटर्न/रिकॉर्ड सी.पी.सी.बी. द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जांच के लिए उपलब्ध कराने होंगे। ठेकेदार को मजदूरी पुस्तिका, मजदूरी स्लिप आदि, अप्रदत्त मजदूरी का रजिस्टर और परिशिष्ट-III पर दिए गए विवरणों के अनुसार शुल्क और कटौतियों का रजिस्टर जैसे आवश्यक रिकॉर्ड और रजिस्टर भी बनाने होंगे।

(ग) **साप्ताहिक अवकाश:**

ठेकेदार अपने द्वारा नियोजित कर्मियों को संबंधित राज्य/केन्द्रीय कानूनों द्वारा प्रशासित रोजगार के तहत वेतन और अवकाश आदि प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा:

1. जिस सुरक्षा गार्ड से पूरे महीने काम कराया गया है उसे चार/पांच छुट्टी के रूपों का कार्यमुक्त प्रभार (Relieving Charges) भी भुगतान किया जाएगा क्योंकि न्यूनतम मजदूरी 26 कार्य दिवसों के लिए ही मिलती है और इसमें चार/पांच छुट्टियां स्वीकृत होती हैं।

2. यदि सुरक्षा गार्ड को सुरक्षा के अलावा किसी अन्य काम में लगाया हुआ है और यदि वह माह में चार या अधिक दिन का अवकाश ले रहा है, तो उसे रिलीविंग चार्ज नहीं मिलेगा।
3. एजेंसी को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाएगा कि कोई भी सुरक्षा गार्ड एक दिन में 8 घंटे से अधिक काम न करे।

(घ). धुलाई सुविधा:

ठेका श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों या अन्य लागू कानूनों के अधीन धुलाई सुविधा उपलब्ध कराना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

(ङ) प्राथमिक चिकित्सा सुविधा:

ठेका श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों या अन्य लागू कानूनों के अधीन प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

VII. ठेके की अवधि:

सभी उद्देश्यों के लिए ठेके की अवधि एक वर्ष की होगी जिसे श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोत्तरी एवं शर्तों पर आपसी सहमति से एक वर्ष या अधिक वर्षों या सीपीसीबी के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तारीख तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सीपीसीबी के प्रभारी/अध्यक्ष, ठेकेदार के पिछले निवास/व्यवसाय के पते पर 30 दिनों का नोटिस देकर बिना किसी कारण बताए ठेका समाप्त कर सकते हैं और इस प्रकार से ठेके की समाप्ति के कारण से ठेकेदार किसी भी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। इस खंड के अधीन सीपीसीबी के अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम तथा ठेकेदारों पर कानूनी रूप से बाध्य होगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी सुरक्षा गार्ड को कानूनी कार्य घंटे अर्थात् 8 घंटे प्रतिदिन से ज्यादा काम नहीं करने दिया जाएगा।



VIII. ठेके की समाप्ति:

- क. यदि ठेकेदार स्वयं को दिवालिया घोषित कर देते हैं या लेनदारों का ऋण चुकाने के लिए अपनी कंपनी या व्यवसाय को परिसमाप्त या बंद करते हैं या इस ठेके के किसी भी प्रावधान या ठेके को प्रशासित करने वाले किसी भी नियमों या शर्तों का अनुपालन करने में असफल हो जाते हैं, तो सीपीसीबी अध्यक्ष के पास ठेके के तहत अन्य किसी अधिकारों या उपायों के बिना तत्काल प्रभाव से ठेका समाप्त करने तथा ठेकेदारों के जोखिम तथा लागत पर ठेके की शेष अवधि का काम पूरा कराने का अधिकार सुरक्षित है। इस स्थिति में वे काम पूरा होने के पश्चात किसी भी नुकसान या लागत के लिए ठेकेदार पर दावा करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- ख. ठेकेदार की लापरवाही या ठेके के तहत विभिन्न सेवाओं में से किसी भी सेवा के असंतुष्ट कार्य प्रदर्शन जैसी स्थिति के कारण यदि सीपीसीबी को किसी भी प्रकार का नुकसान, क्षति, शुल्क, खर्च या लागत व्यय करना पड़ता है तो सीपीसीबी को बिना किसी अन्य अधिकारों या उपायों के तत्काल प्रभाव से ठेका समाप्त करने और ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर ठेके की शेष अवधि का काम पूरा कराने का अधिकार होगा।
- ग. आंचलिक कार्यालय- लखनऊ के प्रभारी या उनकी तरफ से कार्य करने वाले किसी अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में ठेके के तहत पर्याप्त तथा उपयुक्त सुरक्षा कर्मियों/गार्डों की आपूर्ति करने का दायित्व ठेकेदार का होगा। यदि ठेकेदार अपेक्षित संख्या में सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति कराने में असफल होता है, तो आंचलिक कार्यालय- लखनऊ के प्रभारी के पास ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर एवं ठेका समाप्त किए बिना, सुरक्षा कर्मियों को रखने की स्वतंत्रता होगी और इस स्थिति में ठेकेदार ही सभी प्रकार के अतिरिक्त प्रभारों, खर्चों तथा ठेकेदार की वजह से सीपीसीबी के नुकसानों की लागत को वहन करेगा। इसलिए ठेकेदार किसी अन्य पार्टी को काम सौंपने के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा। सीपीसीबी अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, जो ठेकेदार पर कानूनी रूप से लागू होगा।
- घ. ठेके के करार के अनुसार कार्य पूरा करने में असफलता या ठेके की किसी भी शर्तों का अनुपालन नहीं करना।



- ड. समय-सारणी के अनुसार काम करने या सीपीसीबी के हितों की रक्षा करने में असफलता।
- च. ठेकेदार की तरफ से अनुशासनहीनता और अनुपयुक्त पर्यवेक्षण ।
- छ. यदि पी.सी.ए.आर.ए. के तहत पंजीकरण या किसी उचित प्राधिकारी से पंजीकरण रद्द या वापिस हो जाता है।
- ज. यदि सफल बोलीदाता काम छोड़ देता है।
- झ. ठेकेदार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा संपत्तियों पर किसी अन्य कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन में कठिनाई।
- ञ. यदि सफल बोलीदाता या उसकी तरफ से नियोजित कोई भी व्यक्ति ठेके से संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए सी.पी.सी.बी. के किसी भी कर्मचारी को/से किसी भी प्रकार का गिफ्ट, रॉयलटी, कमीशन, परितोषण या अन्य प्रलोभन (नकद या वस्तु में) देता/लेता है।
- ट. यदि ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार दिवालिया हो जाता है। ऋणदातों के ऋण चुकाता है या समामेलन या पुनर्निर्माण के उद्देश्य हेतु स्वैच्छिक परिसमापन सहित अनिवार्य या स्वैच्छिक परिसमापन की अनुमति देता है।
- ठ. यदि किसी भी कारण से सी.पी.सी.बी. ठेकेदार से काम नहीं कराने का निर्णय करता है तो इस स्थिति में सी.पी.सी.बी. के पास ठेके को समाप्त करने का अधिकार होगा। इस प्रकार ठेका समाप्ति की स्थिति में सफल बोलीदाता को कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा।
- ड. ठेके की समाप्ति की स्थिति में सफल बोलीदाता को सी.पी.सी.बी. के कार्यालय/परिसर को शांतिपूर्वक खाली करना होगा तथा तैनात कर्मियों को निर्धारित समय में हटाया जाना होगा।

यदि सफल बोलीदाता उपर्युक्त किसी भी दायित्व का अनुपालन करने में असफल होता है तो उपरोक्त कारणों से ठेका समाप्त होने की स्थिति में सी.पी.सी.बी. के पास ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर वैकल्पिक स्रोत के माध्यम से शेष काम को पूरा करने का अधिकार सुरक्षित है तथा ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई सिक्योरिटी राशि को जब्त समझा जाएगा।

(IX) सुरक्षा जमा

- क. ठेकेदार को उसकी निविदा स्वीकृति से सात दिनों के भीतर निविदा आमंत्रण के समय निर्धारित सिक्योरिटी पेश करनी होगी जिसको जमा न कराने की स्थिति में ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर ठेका रद्द हो जाएगा तथा ठेके की शर्तों के तहत सी.पी.सी.बी. बयाना राशि भी जब्त कर सकते हैं।
- ख. परिशिष्ट - II में निर्दिष्ट प्रारूप में ही सिक्योरिटी राशि जमा की जानी चाहिए।
- ग. सी.पी.सी.बी. सिक्योरिटी पर किसी भी प्रकार के ब्याज या उसके मूल्यहास के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- घ. ठेकेदार को ठेके की शर्तों के तहत उनके द्वारा सभी दायित्वों की पूर्ति तथा सेवाओं के संतोषजनक प्रदर्शन पर निर्धारित समय पर बिना ब्याज के जमा सुरक्षा राशि वापस कर दी जाएगी। इसके लिए ठेकेदार को "नो डिमांड सर्टिफिकेट" जमा करना होगा। तथा ठेके की शर्तों के तहत सी.पी.सी.बी. के दावों को पूरा करने के लिए सिक्योरिटी में से यथावश्यक कटौती/ जब्त भी की जा सकती है।
- ङ. ठेके की समाप्ति की स्थिति में सी.पी.सी.बी. के पास ठेकेदार द्वारा जमा की गई पूरी सिक्योरिटी राशि या उसके कुछ भाग को जब्त करने का अधिकार होगा।
- च. इस प्रकार की क्षतियों, नुकसानों, प्रभारों, लागतों या खर्चों के संदर्भ में सी.पी.सी.बी. का निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदारों पर कानूनी रूप से लागू होगा।
- छ. यदि सिक्योरिटी राशि अपर्याप्त होती है या पूरी जब्त कर ली जाती है तो वसूली योग्य कुल शेष राशि, जो भी हो, उसके बाद किसी देय राशि या इसके कुछ समय बाद इसका सी.पी.सी.बी. के साथ किसी अन्य ठेके में देय राशि में से वसूली जाएगी और इस स्थिति में भी पर्याप्त तथा पूरी राशि वसूली जाएगी तथा ठेकेदार को सी.पी.सी.बी. की मांग पर शेष देय राशि जमा करानी होगी।
- ज. जब कभी भी सिक्योरिटी निर्दिष्ट राशि से कम पड़ती है तो ठेकेदार को कमी को पूरा करना होगा जिससे कि सिक्योरिटी की कुल राशि निर्दिष्ट राशि से किसी समय कम नहीं होनी चाहिए।

(X) सी.पी.सी.बी. द्वारा भुगतान किए नुकसानों आदि के प्रति ठेकेदारों की देयता।

क. ठेकेदार की लापरवाही की वजह तथा उसके ठेके के समय किसी भी सेवा में कर्मियों के काम पर न पहुँचने की वजह से या ठेके की किसी शर्त का अनुपालन न कर पाने या नुकसान आदि से बचने के लिए काम पूरा न कर पाने के कारण से सी.पी.सी.बी. द्वारा भुगतान की गई सभी लागतों, क्षतियों, खर्चों का जिम्मेदार ठेकेदार होगा और या ठेकेदार उसके कर्मचारियों की वजह से सी.पी.सी.बी. या इसकी किसी भी संपत्ति या पौधों का किसी भी क्षति या नुकसान का जिम्मेदार भी ठेकेदार होगा। और ठेकेदार सभी लागतों/क्षतियों/खर्चों पर व्यावसायिक ऋण दर से ब्याज के भुगतान का भी जिम्मेदार होगा। ठेकेदार की असफलता या सी.पी.सी.बी. को किसी भी नुकसान आदि के लिए उसकी देयता के बारे में सी.पी.सी.बी. के अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम तथा ठेकेदारों पर कानूनी रूप से लागू होगा।

ख. सुरक्षा गार्ड और या इस ठेके में उल्लिखित सेवाओं को निपुणता से पूर्ण करने में ठेकेदार की तरफ से असफलता या चूक की स्थिति या सी.पी.सी.बी. के अध्यक्ष या उनकी तरफ से कार्य करने वाले किसी भी अधिकारी की पूर्ण संतुष्टि नहीं होती है तो सी.पी.सी.बी. के अध्यक्ष के पास बिना किसी अन्य अधिकार तथा उपचार के इस ठेके की तहत ठेकेदार से किसी भी गलती या चूक के लिए 100 रु. प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा वसूल करने का अधिकार होगा। इस स्थिति में सी.पी.सी.बी. के अध्यक्ष का पूर्ण विवेक तथा निर्णय ही अंतिम तथा ठेकेदार पर कानूनी रूप से लागू होगा।

ग. निर्धारण

इस ठेके के तहत ठेकेदार को देय (वापिस की जाने वाली सिक्योरिटी राशि सहित) धनराशि सी.पी.सी.बी. द्वारा जब्त की जा सकती है और सी.पी.सी.बी. के साथ ठेकेदार के किसी अन्य ठेके या इस ठेके के तहत भुगतान की जाने वाली धनराशि से सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(XI) बही-खाता परीक्षण

जब कभी भी किसी प्रकार की लागत या लेखा-बही, पर्चियां, रसीद, पत्र, ज्ञापन या इस प्रकार के दस्तावेज का कोई भी रूप और वैधानिक अनुपालन/ई.पी.एफ. को किया गया भुगतान/न्यूनतम मजदूरी आदि नवीनीकृत लाइसेंस या सी.पी.सी.बी. आंचलिक कार्यालय

लखनऊ के प्रभारी या उनकी तरफ से काम करने वाले किसी भी अधिकारी द्वारा वांछित दस्तावेज आवश्यकतानुसार समय-समय पर उपलब्ध कराने होंगे।

(XII) भुगतान

(क) ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मियों के संदर्भ में इस ठेके के अधीन सूचक वैधानिक भुगतान निम्नानुसार होंगे।

- (1) न्यूनतम मजदूरी (अकुशल श्रेणी के तहत न्यूनतम मजदूरी समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कुशल/अकुशल श्रेणी के तहत स्वीकार्य होगी)
- (2) ई.एस.आई.सी.
- (3) ई.पी.एफ.
- (4) बोनस
- (5) सेवा कर
- (6) अन्य वैधानिक प्रकार यदि कोई हो

वैधानिक भुगतान की उपर्युक्त सूची सिर्फ सूचनात्मक है न कि परिपूर्ण और ठेकेदार को ठेके के लिए स्वीकार्य सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और सभी आवश्यक वैधानिक भुगतान करने होंगे। इस प्रकार के वैधानिक भुगतान/रिटर्न का सबूत दिखाकर कंपनी/उक्त को ठेके की शर्त के अधीन जारी कर सकती है।

(ख) सी.पी.सी.बी. द्वारा सुरक्षा गार्डों की वेतन का भुगतान संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित उपस्थिति/हाजिरी की प्रतिलिपि के प्रस्तुतीकरण पर ही होगा और मासिक रिटर्न के साथ ई.पी.एफ./ई.एस.आई. तथा सी.पी.सी.बी. में नियोजित कर्मियों के संदर्भ में अन्य वैधानिक भुगतानों के भुगतान का सबूत प्रत्येक बिल के साथ लगाने पर ही होगा ।

(ग) ठेकेदार को अपने सभी बिल हर महीने की 07 तारीख तक जमा कराने होंगे। जिनका भुगतान ठेकेदार को एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाएगा।

(घ) कंपनी सी.पी.सी.बी. में तैनात सुरक्षा कर्मियों को भुगतान सुरक्षा कर्मों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से कर सकता है।

(XIII) **ठेके पर लागू कानून/विवाद निपटान:-**

ठेके पर भारत के कानून लागू होंगे और इस ठेके से उभरने वाले सभी विवादों को सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय कानून द्वारा निपटाया जाएगा।

(XIV) **ठेकेदार के कर्तव्य तथा जिम्मेदारियां**

(क) ठेकेदार को आंचलिक कार्यालय, लखनऊ प्रभारी या उनकी तरफ से काम करने वाले किसी अधिकारी द्वारा सौंपी या निर्धारित की गई सेवाओं को पूरा करना होगा और उक्त अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन करना होगा। ठेकेदार को आंचलिक कार्यालय, लखनऊ के प्रभारी या उनकी तरफ से काम करने वाले किसी अधिकारी को सहायक तथा आकस्मिक कर्तव्यों सेवाएं और उक्त अधिकारी द्वारा बताई गई सेवाएं इस ठेके के नियमों तथा शर्तों की अधीन होगी। ठेकेदार को अपने कार्यकलापों में हमेशा जिम्मेदार प्रतिनिधि तथा नियुक्त व्यवसायी जैसा व्यवहार करना होगा।

(ख) ठेकेदार को आंचलिक कार्यालय, लखनऊ में सक्षम स्टाफ तथा सुरक्षा गार्डों की तैनाती करनी होगी। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के अच्छे व्यवहार के लिए उत्तरदायी होगा तथा ठेकेदार या उसके कर्मियों या एजेंटों या प्रतिनिधियों के गलत व्यवहार, लापरवाही या अकुशलता के कारण सी.पी.सी.बी. को होने वाली हानियां नुकसानों की प्रतिपूर्ति करनी हो। आंचलिक कार्यालय, लखनऊ के प्रभारी को ठेकेदार के किसी भी इसे कर्मचारी को हटाने के लिए कहने का अधिकार होगा जो प्रभारी की नजर में कार्य के तीव्र निष्पादन में बाधा डाल रहा होगा तथा ठेकेदारों उसके नौकरों और प्रतिनिधि के एजेंट की लापरवाही तथा व्यवहार आदि के कारण नुकसानों के बारे में आंचलिक कार्यालय, लखनऊ के प्रभारी का निर्णय अंतिम तथा ठेकेदार पर कानूनी रूप से लागू होगा।

(ग) ठेकेदार को आंचलिक कार्यालय, लखनऊ के प्रभारी और उनकी तरफ से काम करने वाले प्राधिकृत अधिकारियों को दैनिक कार्य के लिए अपनी तरफ से किसी एक या अधिक जिम्मेदार प्राधिकृत प्रतिनिधियों के नाम बताने होंगे। इस प्रकार के प्रतिनिधियों को आंचलिक कार्यालय लखनऊ के प्रभारी या उनकी तरफ से कार्य करने वाले किसी अधिकारी को प्रगति रिपोर्ट बताने तथा इस संबंध में निर्देश लेने के लिए उनके संपर्क में रहना होगा।

(घ) ठेकेदार को सख्त रूप से कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होगा।

(ङ) ठेकेदार को सत्यापन योग्य प्रमाण उपलब्ध कराना होगा कि सी.पी.सी.बी. में तैनात ठेकेदार के कर्मियों का ई.पी.एफ./ई.एस.आई. जमा कर दिया गया है। प्रत्येक कर्म

के ई.एस.आई. कार्ड की एक प्रति एक महीने के भीतर सी.पी.सी.बी. में जमा करनी होगी जिसे जमा न करा पाने की स्थिति में कर्मों का वेतन जारी नहीं किया जायेगा।

- (च) ठेके में प्रवेश के एक महीने की अवधि के भीतर कर्मचारी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि कोई कर्मचारी बदल जाता है तो उसका वेतन पुलिस सत्यापन को जमा करने पर ही जारी किया जाएगा ।
- (छ) यदि ठेकेदार ठेका मिलने की तारीख से लेकर दो महीनों के भीतर निविदा में निर्दिष्ट नियम व शर्तों और वैधानिक/कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करने में असफल होता है तो एक महीने का नोटिस देकर ठेका खत्म किया जा सकता है तथा सिक्योरिटी धन राशि को भी जब्त कर लिया जाएगा और उसके स्थान पर अर्थात् किसी नए व्यक्ति को ठेका देने के लिए बैकअप के रूप में दूसरे/तीसरे न्यूनतम बोलीदाता को रखा गया है।

विवाद निपटान तथा मध्यस्थता

- I. ठेके या ठेके और उसके कार्यों के त्याग या अवमानना से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद तथा मतभेदों (कार्य की प्रगति के दौरान या काम पूरा होने के बाद) को सी.पी.सी.बी. के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय मध्यस्थों की टीम के पास भेजा जाएगा। सभी मध्यस्थ अपने बीच से एक अम्पायर को चुनेंगे। किसी मध्यस्थ द्वारा प्रतिकूल या अलग-अलग परिणाम मिलने पर चुने गए अम्पायर का निर्णय अंतिम तथा कानूनी रूप से बाध्य होगा। ऐसी किसी भी नियुक्ति पर कोई भी आपत्ति नहीं होगी कि सभी मध्यस्थ सरकारी कर्मचारी हैं और उनका बोर्ड या ठेके में उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित जुड़ा हुआ था। सभी मामलों में, मध्यस्थों को अपने निर्णय लिखित में देने होंगे तथा यदि विवाद में दावों की राशि 50,000/-रु. या अधिक है तो मध्यस्थों को उसका कारण भी बताना होगा। उपरोक्त विषय में मध्यस्थता रद्दीकरण अधिनियम या उसमें कोई भी वैधानिक/संविधानिक परिवर्तन/बदलाव और उसके तहत बने नियमों के अधीन लागू होगा।
- II. मध्यस्थता में शामिल पार्टी को विवाद या मध्यस्थ को भेजे जाने वाले विवाद के साथ इस उपाबंध के अधीन प्रत्येक विवाद के संदर्भ में दावा की गई राशि भी जमा करनी होगी।
- III. यदि ठेकेदार सी.पी.सी.बी. की तरफ से सूचना प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर लिखित में किसी भी दावों के संबंध में मध्यस्थता की कोई मांग नहीं करता है तो ठेकेदार के दावे को खत्म समझा जाएगा तथा पूरी तरह निषिद्ध किया जाएगा और

- इस स्थिति में बोर्ड इन दावों के संबंध में ठेके के अधीन सभी दायित्वों से मुक्त हो जाएगा।
- IV. संतोषजनक कार्य न करने के लिए दरों के संबंध में कटौती की मात्रा तथा उसके औचित्य के बारे में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा तथा मध्यस्थता के अधीन नहीं होगा। बशर्ते कि युद्धस्थिति अथवा प्राकृतिक आपदाओं जैसे हालातों के फलस्वरूप किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ तथा परियोजना कार्यालय, आगरा में सुरक्षा गार्डों की आपूर्ति करके सुरक्षा सेवा प्रदान करने के लिए ठेके के नियम व शर्तें

- (1) सुरक्षा ठेकेदार को सी.पी.सी.बी. आंचलिक कार्यालय तथा परियोजना कार्यालय की संपत्ति, कार्मिक तथा वाहनों तथा सी.पी.सी.बी. के समान की सुरक्षा के लिए प्रतिदिन 24 घंटे के लिए सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने होंगे। ठेकेदार को एक वर्ष में 365 दिनों के लिए निम्नलिखित शिफ्टों में सुरक्षा गार्ड तैनात करके सी.पी.सी.बी. कर्मियों, संपत्ति तथा सी.पी.सी.बी. में वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

(2)

शिफ्ट	समय	आंचलिक कार्यालय, लखनऊ हेतु सुरक्षा गार्ड				योग
		कार्यालय परिसर		विकास खण्ड प्रबोधन केन्द्र	जाजमऊ, कानपुर लाइफोलाइजर प्लांट	
		भूतल	प्रथमतल			
पहली शिफ्ट	प्रातः 6 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक	1	1	1	1	13
दूसरी शिफ्ट	सायं 2 से बजे तक रात्रि 10.00 बजे तक	1	1	1	1	
तीसरी शिफ्ट	रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक	1	1	1	1	
सामान्य शिफ्ट	प्रातः 9.30 बजे से सायं 6 बजे तक	1 (पार्किंग के लिए एक गार्ड) (सोमवार से शनिवार तक)				

शिफ्ट	समय	परियोजना कार्यालय, आगरा हेतु सुरक्षा गार्ड				
		कार्यालय परिसर	ननुहई प्रबोधन केन्द्र	रामबाग प्रबोधन केन्द्र	एतमादौला खण्ड प्रबोधन केन्द्र	योग
पहली शिफ्ट	प्रातः 6 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक	1	1	1	1	12
दूसरी शिफ्ट	सायं 2 से बजे तक रात्रि 10.00 बजे तक	1	1	1	1	
तीसरी शिफ्ट	रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक	1	1	1	1	

- (3) सुरक्षा ठेकेदारों को सी.पी.सी.बी. में सुरक्षा कर्मी प्रदान करने होंगे तथा सुरक्षा गार्डों को समय-समय पर उचित प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दर से कम वेतन नहीं मिलेगा।
- (4) ठेकेदार को सुरक्षा सेवा प्रदान करने के लिए सभी करों सहित अपने सेवा प्रभार की दर प्रस्तुत करनी होंगी।
- (5) यदि न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ती है तो ठेकेदार के सेवा प्रभारों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा।
- (6) न्यूनतम मजदूरी केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित श्रेणी में अकुशल श्रेणी के अंतर्गत सुरक्षा गार्ड के लिए न्यूनतम दर स्वीकार्य होंगे।
- (7) सफल बोलीदाता को भारत सरकार के श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार सुरक्षा गार्डों की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना होगा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सी.पी.सी.बी. में तैनात सुरक्षा कर्मियों को सी.पी.सी.बी. के मजदूरी बिल के भुगतान की प्राप्ति का इंतजार किए बना भुगतान किया जाना चाहिए। सफल बोलीदाता को मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा नियम 1984 के अधीन निर्दिष्ट समय के भीतर बैंक खातों के माध्यम से सुरक्षा कर्मियों को मजदूरी का भुगतान करना अपेक्षित होगा। सफल बोलीदाता को मासिक बिल के साथ इस प्रकार के भुगतान की बैंक स्टेटमेंट भी प्रस्तुत करनी होगी। कंपनी द्वारा सुरक्षा कर्मियों को नकद भुगतान की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इन अधिनियमों के प्रावधानों तथा निर्देशों का अनुपालन न करने की स्थिति में एजेंसी को

- सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित आवश्यक क्षतिपूर्ति/पैनाल्टी का भुगतान करना होगा। सफल बोलीदाता को श्रम कानून के अनुसार अनिवार्य रूप से मजदूरी रजिस्टर बनाना होगा तथा अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किसी भी समय इस मजदूरी रजिस्टर की जांच की जा सकती है।
- (8) सुरक्षा गार्ड सेना/अर्धसेना बल से सेवानिवृत्त व्यक्ति अथवा सामान्य नागरिक होने चाहिए।
- (9) सफल बोलीदाता द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक/हाई स्कूल या समतुल्य से कम नहीं होनी चाहिए।
- (10) सी.पी.सी.बी. को किसी भी सुरक्षा कर्मियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रखने का अधिकार/बाध्यता नहीं होगी।
- (11) सफल बोलीदाता को अपने द्वारा तैनात किए गए सुरक्षा कर्मियों के चरित्र संबंधी सभी दस्तावेजों का उचित रिकार्ड रखना होगा और आवश्यकता पड़ने पर सफल बोलीदाता को सत्यापन के लिए उक्त दस्तावेज प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे। यह पूर्व शर्त है कि सुरक्षा कर्मियों को नियोजित करते हुए सफल बोलीदाता को इस बात का उचित ध्यान रखना होगा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा कर्मियों के रूप में नियोजित न किया जाए। रक्षा सेवाओं से बरखास्त और/या असमाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को भी सुरक्षा के रूप में तैनात नहीं किया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा तैनात किसी भी सुरक्षा कर्मियों के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो उस सुरक्षा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को कंपनी के कर्मचारियों के रिश्तेदारों को सुरक्षा कर्मियों के रूप में तैनात करने से बचना होगा। यद्यपि इस प्रकार की स्थिति होती है तो सफल बोलीदाता के इस प्रकार के कर्मचारियों की सूची ठेके के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- (12) सी.पी.सी.बी. की संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सुरक्षा ठेकेदारों द्वारा तैनात किसी भी कर्मियों की किसी भी लापरवाही अनदेखी की वजह से कोई भी चोरी, उठाईगिरी, गबन, गलत प्रयोग, स्टॉक/स्टोर की घपलेबाजी या किसी भी कारण से सी.पी.सी.बी. की किसी अन्य संपत्ति को नुकसान की जिम्मेदारी तथा ठेकेदार की होगी तथा सी.पी.सी.बी., दिल्ली के अध्यक्ष या सी.पी.सी.बी. के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आंकलित नुकसानों की क्षतिपूर्ति ठेकेदार को करनी होगी।
- (13) सुरक्षा गार्डों को यूनीफॉर्म प्रदान करने की जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी।
- (14) यदि सी.पी.सी.बी. सुरक्षा ठेकेदार द्वारा दिए गए किसी भी सुरक्षा गार्ड के बदलाव को आवश्यक समझता है तो सी.पी.सी.बी. से लिखित अनुरोध की प्राप्ति पर ठेकेदार को सुरक्षा गार्ड बदलना होगा।

- (15) सुरक्षा, ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए कर्मियों की कार्य स्थिति, वेतनों तथा आचार से संबंधित किसी भी संदर्भ में सी.पी.सी.बी. जिम्मेदार नहीं होगा। सुरक्षा गार्डों का नियोजक सुरक्षा ठेकेदार होगा और उनकी सेवा के संदर्भ में सी.पी.सी.बी. का कर्तव्य/जिम्मेदारी नहीं होगा।
- (16) सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा गार्ड की सेवा समाप्ति या तैनाती के दौरान कोई भी सुरक्षा गार्ड किसी भी संदर्भ में सी.पी.सी.बी. पर किसी भी प्रकार के दावे का अधिकारी नहीं होगा। यदि कोई सुरक्षा गार्ड किसी भी कारण से किसी भी न्यायालय में मुकदमेबाजी का सहारा लेता है तो सुरक्षा ठेकेदार अपनी लागत पर न्यायालय के आदेश के लिए उत्तरदायी होगा। सुरक्षा ठेकेदार के कर्मचारियों की वजह से सी.पी.सी.बी. को किसी भी नुकसानों, क्षतियों के खर्च और सी.पी.सी.बी. के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दावा या अभियोग या किसी भी कार्यवाही की स्थिति में सी.पी.सी.बी. को सुरक्षा ठेकेदार के लंबित या आगामी बिल में से धनराशि की कटौती करने का अधिकार होगा।
- (17) सुरक्षा ठेकेदार के सुरक्षा कर्मी सी.पी.सी.बी. के कर्मचारी संघ/संगठन की किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे।
- (18) सी.पी.सी.बी. को सिर्फ प्रशिक्षित तथा अनुभवी सुरक्षा गार्डों की आपूर्ति की जानी चाहिए। ठेकेदार द्वारा सी.पी.सी.बी. को सुरक्षा गार्ड कर्मियों की फोटो सहित सामान्य दस्तावेजों की आपूर्ति भी की जानी होगी। तैनात किए गए सुरक्षा गार्डों का चरित्र/पूर्ववर्ती चरित्र सत्यापन ठेकेदार का संबंधित पुलिस प्राधिकरणों से उनकी तैनाती के एक महीने के अंदर अपनी लागत पर सी.पी.सी.बी. के संतुष्टि के लिए ठेकेदार द्वारा ही करानी होगी।
- (19) सुरक्षा ठेकेदार द्वारा तैनात सुरक्षा गार्ड कर्मी असामाजिक तत्वों से निपटने में भी सहायता करेंगे तथा सी.पी.सी.बी. कार्यालय में झूटी के समय सी.पी.सी.बी. कर्मचारी/अधिकारियों को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे।
- (20) सुरक्षा ठेकेदार तैनात सुरक्षा गार्डों को सी.पी.सी.बी. अधिकारी की उपस्थिति में मजदूरी, अग्रिम और अन्य भुगतान नियमित रूप से करेगा।
- (21) ठेकेदार को अपने कर्मी उपलब्ध कराने होंगे तथा वह पुराने या पहले के ठेकेदार के वर्तमान किसी कर्मी को अपना नहीं बना सकता। ठेके की समाप्ति पर ठेकेदार को सी.पी.सी.बी. के परिसरों से अपने कर्मी हटाने होंगे तथा ऐसा न करने पर सी.पी.सी.बी. ठेकेदार को देय सभी भुगतानों को रोकने का हकदार होगा।
- (22) कंपनी द्वारा तैनात किए जाने वाले सुरक्षा गार्ड की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक/हाईस्कूल होना अनिवार्य है। सुरक्षा गार्ड को हिन्दी/अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। सुरक्षा कंपनी को -समय पर सी.पी.सी.बी. द्वारा अपेक्षित विभिन्न रजिस्टर बनाने होंगे कंपनी का करार के निष्पादन के समय चुकोती प्रमाण पत्रों तथा सुरक्षा गार्डों की शैक्षिक योग्यता के प्रमाण की प्रतियां भी प्रस्तुत करनी होगी

तथा सुरक्षा गार्डों की तैनाती से पहले सी.पी.सी.बी. से सत्यापित कराना जरूरी होगा।

- (23) सुरक्षा फर्म द्वारा तैनात किए जाने वाले सुरक्षा गार्डों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उनका चरित्र तथा पूर्ववर्ती चरित्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित तथा अनुमोदित होने चाहिए। यदि उनमें से कोई भी सुरक्षा गार्ड ठेके से पहले या ठेके के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन करता या चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है तो ऐसे कर्मियों को फर्म नियोजित तथा तैनात नहीं करेगी और सी.पी.सी.बी. को अपने परिसरों में फर्म के इस प्रकार के कर्मचारियों के प्रवेश को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
- (24) यदि आवश्यक होगा तो, सीपीसीबी सुरक्षा गार्डों को इंटरकोम सुविधा के साथ टेलीफोन उपलब्ध कराएगा। और स्टेशनरी फर्म द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- (25) फर्म द्वारा अपनी किसी भी बाध्यताओं को पूरा न करने के परिणाम स्वरूप सी.पी.सी.बी. को होने वाली क्षतियों और खर्चों का भुगतान फर्म को ही करना होगा।
- (26) फर्म द्वारा सुरक्षा के उद्देश्य से तैनात उसके किसी भी कर्मचारी के कारण सी.पी.सी.बी. की किसी भी क्षति की पूरी जिम्मेदारी फर्म की होगी। (प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर)
- (27) फर्म को अपने सुरक्षाकर्मियों को सर्दी और गर्मी के सुरक्षा यूनियफार्म अपनी लागत पर प्रदान करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा गार्ड इस यूनियफार्मों को इयूटी के समय साफ तथा व्यवस्थित ढंग से पहने।
- (28) सुरक्षा फर्म द्वारा अपने सभी सुरक्षा गार्डों को सुरक्षा उद्देश्य हेतु सेल सहित टॉर्च, गम बूट, लाठी, भारी वस्तु उठाने का यंत्र, बन्दूक आदि प्रकार की अन्य आवश्यक सामग्री अपनी लागत पर उपलब्ध करानी होगी।
- (29) सी.पी.सी.बी. के पास सुरक्षा फर्म से कहकर संतोषजनक सुरक्षा इयूटी न करने वाले या संदिग्ध चरित्र वाले सुरक्षा गार्ड को हटाने का अधिकार होगा तथा फर्म को तत्काल ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को हटाकर उनकी जगह पर तत्काल उपयुक्त व्यक्ति को लगाना होगा।
- (30) सी.पी.सी.बी. सुरक्षा फर्म द्वारा तैनात किसी भी कर्मों के लिए सी.पी.सी.बी. परिसरों या अन्य किसी भी जगह आवासीय सुविधा प्रदान नहीं करेगा तथा फर्म को अपनी लागत पर इसका प्रबंध करना होगा।
- (31) फर्म को अपनी लागत पर सभी तैनात सुरक्षा गार्डों/बन्दूकधारियों या स्टाफ को पहचान पत्र प्रदान करने होंगे और फर्म के सभी कर्मियों द्वारा यह पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होगा।
- (32) फर्म द्वारा तैनात किए गए सुरक्षा गार्डों के इयूटी प्वाइंट और इयूटी चक्र का निर्णय सी.पी.सी.बी. के आंचलिक कार्यालय, लखनऊ तथा परियोजना कार्यालय, आगरा

द्वारा किया जाएगा। फर्म की सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बारे में सी.पी.सी.बी. द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।

- (33) उठाई गिरी या चोरी की स्थिति में फर्म या उसके प्रतिनिधि को मामले की रिपोर्टिंग सी.पी.सी.बी. के आंचलिक कार्यालय, लखनऊ को करनी होनी तथा पर्याप्त जांच तथा नुकसान की पूर्ति के लिए यह मामला पुलिस के पास बताया जाना होगा। यदि इस प्रकार का कोई भी नुकसान फर्म द्वारा तैनात किए गए सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही अनुपस्थिति या कर्तव्य की उपेक्षा के कारण होता है तो सभी नुकसानों की क्षतिपूर्ति फर्म से ही की जाएगी।
- (34) फर्म की सेवाओं के बारे में किसी भी शिकायत की दो चेतावनियों के पश्चात सुनवाई न होने की स्थिति में ठेका खत्म कर दिया जाएगा।
- (35) सुरक्षा गार्डों की ड्यूटी निम्नलिखित होंगी:-
- (i) सी.पी.सी.बी. की संपत्ति, कर्मचारी, प्रयोगशाला उपकरणों, वाहनों आदि की 24 घंटे सुरक्षा करना।
 - (ii) सी.पी.सी.बी. में कार्यरत सभी स्टाफ की तलाशी।
 - (iii) शौचालयों, लॉबी, कमरों में कार्यालय के समय के बाद लाइटों, पंखों आदि को बंद करना
 - (iv) आगंतुकों को वाहनों की पार्किंग में मार्गदर्शन करना।
 - (v) सी.पी.सी.बी. के आंचलिक कार्यालय, लखनऊ तथा परियोजना कार्यालय, आगरा के भवन के प्रत्येक तल पर आगे पीछे 24 घंटे गश्त लगाना जिससे चोरी रोकी जा सके।
 - (vi) सभी तलों के कमरों को सुबह खोलना तथा शाम को बंद करना
 - (vii) असमाजिक तत्वों से भवन संपत्ति/कर्मचारियों की सुरक्षा करना
 - (viii) मुख्य द्वारों का संचालन अर्थात् सुबह 8 बजे खोलना तथा शाम को 06.30 बजे बंद करना।
 - (ix) किसी भी दुर्घटना की स्थिति में आंचलिक कार्यालय, लखनऊ और परियोजना कार्यालय, आगरा के प्रभारी या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को सूचित करना।

निविदाकार का

- (i) टेलीग्राफिक पता :
- (ii) टेलीफोन नं.

निविदाकार के हस्ताक्षर

(1) निविदाकार का नाम और पता तथा टेलीग्राफिक पता

(2) निविदाकार की संरचना

निविदाकार को यह बताना होगा कि वह संयुक्त हिन्दू परिवार, व्यवसाय प्रोपराइटरशिप या पंजीकृत साझेदारी फर्म या किसी लिमिटेड कंपनी है। सभी साझेदारों/निदेशक, स्वामियों, संयुक्त परिवार के कर्ता का नाम तथा जन्म तिथि भी बताई जानी चाहिए। यह भी प्रमाणित किया जाना चाहिए कि कोई भी छिपे साझेदार नहीं है। लिमिटेड कंपनियों की स्थिति में प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी का विवरण भी दिया जाना चाहिए।

(3) निविदाकार का व्यवसाय

निविदाकार या निविदाकार के साझेदार फर्म के व्यवसाय की प्रकृति के साथ-साथ उसके मुख्यालय तथा ब्रांचों का विवरण भी दिया जाना चाहिए।

(4) कार्य अनुभव

यदि निविदाकार ने केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या सार्वजनिक/निजी कंपनियों के सुरक्षा ठेकेदार के रूप में कार्य किया है तो उसका पूरा विवरण दिया जाना चाहिए और इस कार्य की समयावधि का भी पूरा विवरण दिया जाना चाहिए। निविदाकारों को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा कि वे केन्द्र या राज्य सरकारों या रेलवे आदि के किसी विभागों की तरफ से ठेकेदारों के रूप में कार्य कर रहे हैं या नहीं तथा पिछले 3 वर्षों के कार्य अनुभव का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना जरूरी है।

(5) (क) क्या सी.पी.सी.बी. के साथ पहले कोई ठेका किया था (यदि कोई हो तो विवरण दें)

(ख) क्या सी.पी.सी.बी./किसी पी.एस.यू./राज्य सरकार द्वारा ठेकेदार की बयाना राशि/सुरक्षा राशि को जब्त किया गया था।

(ग) यदि फर्म को भारत सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित किया गया था तो सी.पी.सी.बी. को उसका विवरण भी दिया जाना चाहिए।

नोट:- जिस निविदाकार की बयाना राशि/सुरक्षा जमा को भारत सरकार द्वारा जब्त किया गया था, वह निविदा के लिए स्वीकृत नहीं होगा।

(6) निविदाकारों के बैंक

निविदाकार के साथ काम करने वाले बैंक के नाम तथा शाखाओं के नाम तथा किसी ऐसे बैंक का नाम दिया जाना भी जरूरी है जो निविदाकार की वित्तीय स्थिति को प्रमाणित करके अनिवार्य प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करे

- (7) पिछले तीन वर्षों के पी एंड एल खाते विधिवत लेखा-परीक्षित
- (8) ली गई क्रेडिट सीमा का विवरण
- (9) आयकर पैन नम्बर
- (10) प्रतिभागियों/निदेशकों की सूची -

निविदाकार के हस्ताक्षर

निम्नलिखित रूप में सुरक्षा राशि प्रस्तुत की जा सकती है।

सुरक्षा राशि के प्रकार

सी.पी.सी.बी. के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी

शर्तें

सुरक्षा जमा राशि पर सी.पी.सी.बी. किसी भी प्रकार का ब्याज भुगतान नहीं करेगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर

फॉर्म-1

शुल्क/मजदूरी पुस्तिका/मजदूरी स्लिप/अदत्त मजदूरी/कटौती रजिस्टर

क्रम. सं.	नाम	पिता/ पति का नाम	लिंग	विभाग	अपराध का प्रकृति और तारीख जिसके लिए फाइन लगाया गया हो	क्या श्रमिक ने फाइन का कारण बताया था, यदि हां तो तारीख बताएं	मजदूरी दर	फाइन की तारीख और राशि	फाइन मुक्त करने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

मूल्य बोली (PRICE BID)

सेवा में,

प्रभारी,

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आंचलिक कार्यालय, पिकप भवन

विभूति खंड, गोमती नगर,

लखनऊ

महोदय,

- (1) मैं/हम सी.पी.सी.बी.में
..... ठेकेदार के रूप में नियुक्ति के लिए
मुहरबंद मूल्य बोली प्रस्तुत करता/करते हैं।
- (2) मैंने/हमने corrigendum निविदा आमंत्रण में निविदाकार को दिए गए निर्देश, नियमों तथा शर्तों और निविदा तथा इसके परिशिष्टों में उल्लिखित सामान्य शर्तों को पूरी तरह से पढ़ तथा समझ लिया है और इनके अनुपालन के लिए सहमत हैं ।
- (3) मैं/हम एतद्वारा (Central Govt.) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सामान्य न्यूनतम मजदूरी के आधार पर सेवा परिवर्तन के निम्नलिखित प्रतिशत पर सुरक्षा सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव रखता/रखते हैं। यह निविदा प्रदान करने के समय स्वीकार्य दरों पर होगी। मैं/हम वचन देते हैं कि हम ठेके की अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी में

संशोधन के सिवाय किसी अन्य कारण से दरों में किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी के हकदार नहीं होंगे।

	सुरक्षा गार्ड (गैर-सैनिक) 08 घंटे (मासिक वेतन) लखनऊ के लिए			सुरक्षा गार्ड (गैर-सैनिक) 8 घंटे (मासिक वेतन) आगरा के लिए		
	प्रति व्यक्ति	13 व्यक्ति	कुल	प्रति व्यक्ति	12 व्यक्ति	कुल
न्यूनतम मजदूरी						
ई.एस. आई.सी.						
ई. पी. एफ.						
सर्विस चार्ज						
सेवा कर						
बोनस						
अन्य शुल्क, यदि कोई हो						

उपर्युक्त सभी दरों के अलावा किसी भी तरीके से प्रस्तुत दरों को तुरंत अस्वीकार किया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोत्तरी होने की स्थिति में ठेकेदार अपने सेवा प्रभागों की बढ़ोत्तरी का हकदार नहीं होगा।

- (क) मैं/हम न्यूनतम मजदूरी, ई.एस.आई., पी.एफ. बोनस आदि जैसी वैधानिक जिम्मेदारियों का उत्तरदायित्व लेता हूँ और इनके प्रभार दस्तावेजीय प्रमाण के साथ संबंधित प्राधिकरण के वास्तविक योगदान के अनुसार लिए जाएंगे तथा इन योगदानों पर किसी भी प्रकार के सेवा प्रभार/प्रशासन प्रभार नहीं लगाए जाएंगे।
- (ख) मजदूरी की कुल राशि की गणना सी.पी.सी.बी. द्वारा स्वीकृत सुरक्षा गार्ड की मजदूरी के वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर की जाएगी।

में/ हम 3 महीने तक के लिए यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए खुला रखते हैं।

- (4) मैं/हम प्रस्ताव की स्वीकृति निर्धारित समय सीमा में प्रेषित के लिए बाध्य होंगे और मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि यदि स्वीकृति की तिथि, जिसमें प्रस्ताव खुला रहेगा, उस तिथि को सीपीसीबी में अवकाश घोषित हो जाता है तो प्रस्ताव अवकाश के अगले दिन तक मान्य होगा। बयाना राशि के रूप में तकनीकी बोली के साथ रुपये की राशि संलग्न है। यदि मेरी निविदा स्वीकार कर ली जाती है तो, मैं/हम निम्नानुसार सुरक्षा राशि जमा कराने के लिए सहमत हैं। (कृपया सिक्क्योरिटी राशि जमा करने के तरीके का ब्यौरा दें।)
- (5) मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि निविदा तथा परिशिष्टों तथा तकनीकी बोली के साथ संलग्न सभी सूचियां तथा प्रविष्टियां सत्य हैं और यह भी घोषणा करते हैं कि हम अपने/हमारे विधिवत गठित अटॉर्नी के कार्य से बंधे होंगे तथा श्री जिनके हस्ताक्षर इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट स्थान पर किए गए हैं मेरे/हमारे द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भविष्य में सी.पी.सी.बी. के आंचलिक प्रभारी को सूचना दिए बिना इस निविदा से संबंधित कार्य कर सकता है।

भवदीय,

()
निविदाकार के हस्ताक्षर

TENDER DOCUMENT

Service Contract for Providing Security Guards

At



CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

ZONAL OFFICE (NORTH)

PICUP BHAWAN, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR,

LUCKNOW- 226010

Central Pollution Control Board
Zonal Office (North)
PICUP Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow

ZOL/Admn/59/Vol-VI/

01 March, 2016

NOTICE INVITING TENDER

Central Pollution Control Board, Zonal Office, Lucknow invites sealed tenders in two bid system for the following work:-

- Name of Work :- Service Contract for providing Security guards in Central Pollution Control Board, Zonal Office, Lucknow and Project Office, Agra including its (Lucknow & Agra) Monitoring Stations.
- Cost of tender :- Rs. 500/- non-refundable demand draft in favour of Central Pollution Control Board, Lucknow.
- E.M.D Amount :- Rs. 10,000/- in the form of demand draft in favour of Central Pollution Control Board, Lucknow
- Starting date of sell of tender :- 07.03.2016 from 11.00 a.m.
- Last date of sale of tender :- 06.04.2016 up to 11.00 a.m.
- Last date of receipt of tender :- 06.04.2016 up to 2.00 p.m.
- Opening of tender :- 06.04.2016 at 3.00 p.m.

Note: The tender can also be downloaded from CPCB website i.e. www.cpcb.nic.in those downloading the tender from CPCB website will have to submit the tender fees of Rs. 500/- as Demand Draft in favour of Central Pollution Control Board, Lucknow alongwith the technical bid.

(बी० पी० सिन्हा)
प्रमुख अधिकारी
राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
राजस्थान कार्यालय (बंगला), लखनऊ

03/03/16

NOTICE INVITING TENDER

The Central Pollution Control Board (CPCB) invites sealed tenders in two bid systems from the reputed and experienced firm for "Providing security guards in Central Pollution Control Board, Zonal Office (North), PICUP Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow and Project Office, 04, Dholpur House, M.G.Road, Agra.

1. The tenders, document will be available for sale on all working days during office hours from 07.03.2016 to 06.04.2016 till 11.00 a.m. in the office. The tender document can also be downloaded from CPCB website www.cpcb.nic.in. In case the tender document is downloaded from the website the bidder shall have to submit the document fee of Rs.500/- as D.D. in favour of Central Pollution Control Board, Lucknow at the time of submitting of the tender, failing which the tender will not be accepted.
2. The tender shall be submitted in three separate sealed covers, duly completed in all respects viz. one for "earnest money", the second for "technical bid" and the third for "price bid". The name of the work and the words "earnest money", "technical bid only" and "price bid only", as the case may be shall be clearly written on the top of the respective sealed covers. All the three bids, along with the letter for submitting tender shall be put in a sealed cover and the name of the work ' "Providing security guards in Central Pollution Control Board, Zonal Office (North), Lucknow and Project Office, , Agra shall be clearly written on top of the sealed cover.
3. The sealed tenders should be dropped or send by post/courier etc. upto 2.00 p.m. on 06.04.2016 in the tender box lying at Ground floor near reception in Central Pollution Control Board, Zonal Office (North), PICUP Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow and the technical bid will be opened on 06.04.2016 at 3.00 p.m. at the same address.
4. Earnest money, amounting to Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only) as Demand Draft in favour of the Central Pollution Control Board, Lucknow.
5. The contractor, whose tender is accepted, will be required to furnish security deposit of Rs. 40,000/- (Rs. Forty Thousand only) for the fulfilment of his contract.
6. The acceptance of a tender rests with the CPCB, which does not bind itself to accept the lowest tender and reserves the right to reject any or

all of the tenders received without assigning any reason. All tenders in whom any of the prescribed conditions are not fulfilled or are incomplete in any respect are liable to be rejected.

7. Canvassing in any form in connection with tender is strictly prohibited and the tenders submitted by the contractors who resort to be canvassing will be liable to rejection.
8. All rates should be quoted on the proper format in the tender.
9. It will be obligatory on the part of the tenderer to tender and sign the tender documents on each page.
10. Unsealed tenders shall be summarily rejected.



TECHNICAL BID

Incharge, Central Pollution Control Board (CPCB), Zonal Office, Lucknow invites tenders from registered and authorized contractors/agencies having experience and expertise in providing security services to Central Govt., State Govt., PSU and large Pvt. Companies for providing Security Guards for a period of one year extendable for a further period of one or more year on mutual consent on same terms & conditions.

1. (a) Place of providing security guards:

Central Pollution Control Board, Zonal Office (North), PICUP Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow and Project Office, 04 Dholpur House, M. G. Road, Agra.

(b) Brief description of works:

The contractor shall provide Security services by providing Security Guards at different places in the offices according to the requirement to be intimated to the contractor in writing or otherwise by various authorized officer(s) of the CPCB from time to time. The contractor shall ensure safety of properties, personnel and vehicles of the CPCB by deploying Security guards (**Annexure-I**) round the clock in three shifts of eight hours.

The tenderers must get themselves fully acquainted with the location of office before submission of tender.

2. Volume of work:

2.1 Security of Zonal Office (North), PICUP Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, including Parking & Monitoring Stations i. e. Vikas Khand, Lucknow & (5MLD STP) Lifolizer Plant, Jajmau, Kanpur and Project Office, 04, Dholpur House, M.G.Road, Agra & its Monitoring Stations i.e. Nunhai, Rambagh, Atmaddaula, Agra by deputing Security Guards.

2.2 The instructions to be followed for submitting the tender are set out below:-

(a) **Information about Tenderer:-** The Tenderer must furnish full, precise and accurate details in respect of information asked for in Appendix-1.

(b) Signing of Tenders:- Person or persons signing the tender shall state in what capacity he is or they are signing the tender e.g. as sole proprietor to a firm or a Secretary/Manager/ Managing Director, etc. of a limited company.

3. EARNEST MONEY:

Each tender must be accompanied by an earnest money of Rs 10,000/- (Rs. Ten Thousand only) in the form of Demand draft of Scheduled Bank in favour of Central Pollution Control Board payable at Lucknow. Bid not accompanied by earnest money shall be summarily rejected.

The earnest money shall be liable to forfeiture if the Tenderer after submitting his tender modifies his offer and or the terms & conditions thereof in any manner, even if CPCB has not suffered any loss during the validity period of this tender enquiry, it being understood that the tender documents have been made available to him and he is being permitted to tender in consideration of his agreement to this stipulation. The earnest money also liable to be forfeited in the event of tenderers fails to furnish the requisite security deposit or start the work by the due date without prejudice to any other rights and remedies of the CPCB under contract and law. The earnest money will be returned to all unsuccessful tenderers without interest as soon as practicable, after decision on tenders and their successful tenderer furnished a security deposit. No interest shall be payable on the amount of earnest money in any case.

4. SECURITY DEPOSIT:

(a) The successful tenderer shall furnish within a week of the acceptance of his tender a security deposit of Rs. 40,000/- (Rs. Forty Thousand only).

(b)

- i) The Security shall be deposited in favour of the Central Pollution Control Board any of the forms mentioned in Appendix -II
- ii) The Security deposit furnished by the tenderer would be subject to the terms & conditions given in the Annexure of this tender and the



CPCB will not be liable for payment of any interest on the security deposit or any depreciation thereof.

- iii) If the successful tenderer had previously held any contract and furnished security deposit, the same shall not be adjusted against this tender and a fresh security deposit will be required to be furnished.

5. DOCUMENTS REQUIRED TO BE ATTACHED WITH THE TECHNICAL BID:

A) Self-attested copies of the following documents is to be annexed:-

- Document -I Valid license for running of Security service agency and requisite registration certificate under various statutory provisions of labour R&A Act. Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act., ESIC etc.
- Document-II The Bidder should have successfully executed similar type of contract of a minimum 2 (Two) years duration with any Government departments/undertakings in preceding three years and should have been continuously operating/executing contracts with reputed firms without break for the last five years to provide security services. Documentary proof has to be enclosed.
- Document-III Latest police verification certificate in respect of Security personnel of the contractor. Whose name appears in the PF/ESI Return.
- Document- IV Attested copies of power of Attorney, if relied upon.
- Document -V Income Tax PAN No. of Firm.
- Document -VI Attested copies of partnership deed/copy of Memorandum and articles of association, as the case may be.
- Document-VII Name and address of all the partners/ Directors/ proprietors as the case may be.
- Document- VIII ESIC/EPF registration Nos and copy of the PF/ESI return.
- Document -IX Name of Bankers, Copies of the IT Returns for the last three years.
- Document -X Earnest money deposit.
- Document -XI All other Document mentioned in NIT, Tender document its annexure, schedules.
- Document -XII Service Tax registration No and copy of registration certificate.



- Document – XIII The firm should have the registration with for PASARA (Private Security Regulation Act) (Copy to be enclosed)
- Document – XIV The annual turnover of the firm should not be less than 1.00 crore per annum. Documentary evidence should be enclosed.
- Document – XV The firm should have working at least 03 government organizations for which copy of the agreement/award letter should be enclosed.
- Document – XVI The firm should not have been black listed from any Govt. departments. An undertaking in this regard is to be enclosed.
- Document–XVI| The firm should have affiliated with the Security Sector Skill Development Counsel (Copy to be enclosed)
- Document – XVII|The firm should have ISO certified (Copy to be enclosed)

(B) The Tenderer should be signed and stamped on each page of tender document for acceptance of all terms and conditions and the same should be enclosed in the technical bid.

7. **Delivery of tenders:**

- (a) Tenders which do not comply with this instruction shall be summarily rejected.
- (b) The bid shall be accompanied by earnest money of Rs. 10,000/- (Rs. Ten Thousand only) by way of demand draft of scheduled Bank in favour of CPCB, Lucknow.
- (c) All credentials, documents and copies of certificate/information called for would be submitted as per tender paper with the bid.
- (d) Necessary clarification if any required by the CPCB shall be furnished by the tenderer within the time given by the CPCB for the same. The CPCB is at liberty to verify any or all documents submitted by the tenderer, even by referring to third parties.
- (e) It should be clearly understood by the tenderer that no further opportunity shall be given to them to modify or withdraw any stipulation at any stages of the contract.
- (f) The tender from shall be filled in by the tenderer clearly, neatly and accurately. Any alteration, erasers or over-writing will render the tender invalid. Alteration neatly carried out and attested over the full signature of tenderer, however, is permitted.

8. OPENING OF TENDER

The tender will be opened in Conference Hall, Ground Floor, CPCB, Lucknow at the time and on the date indicated above. The tenderers will be at liberty to be present either in person or through an authorized representative at the time of opening of the tenders.

The financial bid of only those tenderers will be opened whose technical bid are found to be acceptable.

In the event of more than one bidder becomes L1, the Competent Authority in CPCB reserves the right to select one of the L1 bidders based upon various norms like quality of work experience, number of years in operation and other credentials like work completion certificate of any Central Government/State Government Undertaking /Organisation.

9. CORRUPT PRACTICES:

Any bribe, commission advantage offered or promised by or on behalf of the tenderer to any officer or servant (official) of the CPCB shall (in addition to any criminal liability which the tenderer may incur) debar his tender from being considered, Canvassing on the part or on behalf of the tenderer will also make his tender liable to rejection.

10. INTERVIEW AND ACCEPTANCE OF TENDER

The tenderer should be prepared to proceed to CPCB and without any obligation, if called upon to do so, for an interview by the I/c or an officer authorized to act on his behalf from CPCB as the case may be at their own expenses. The Chairman CPCB reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason and does not bind himself to accept the lowest or any tender. The successful tenderer will be advised about the acceptance of his tender by a letter/fax or formal acceptance of tender.

Yours faithfully,


(P. K. Mishra)

I/c, ZOL

03/03/16

Signature of Tenderer

TERMS & CONDITIONS COVERING CONTRACT FOR SECURITY SERVICES

I. DEFINATION:

- (a) The terms 'Contract' shall mean and include the invitation to tender incorporating also the instruction to tenderer, the tender, its annexure, appendixes, schedules, acceptance of tender and such general and special conditions as may be added to it.
- (b) The terms "CPCB" wherever occurs shall mean Central Pollution Control Board and will include its Chairman and Member Secretary and its successor or successors and assignees.
- (c) The terms MS shall means Member Secretary and its successor or successor's assignees.
- (d) The term "Contractor" shall mean and include the person or person, firm or company with whom the contract has been placed including their heirs, executors, administrators, successors and their permitted assignees, as the case may be.
- (e) The term 'Contract Rates' shall mean the rate of payment accepted by the MS, CPCB for and on behalf of CPCB.
- (f) The term 'Worker' shall mean Security Guard.

II PARTIES TO THE CONTRACT

- a) The parties to the contract are contractors and CPCB, represented by the MS and/or any other person authorized to act on behalf of the CPCB.
- b) The person signing the tender or any other document (s) forming part of the tender on behalf of any other person or a firm shall be deemed to warrant that he has authority to bind such other person or the firm, as the case may be in such matter pertaining to the contract, if, on enquiry, it is found that the person concerned has no such authority Chairman, CPCB may without prejudice to other civil, criminal remedies, terminate the contract and hold the signatory liable for all cost and damages.

III CONSTITUTION OF CONTRACTORS

- a) "The tenders shall be entertained from the parties having all statutory registration with the appropriate authorities" Contractor shall at the time of submission of tender declare whether they are sole proprietary concern or registered Partnership Firm of Private Limited Company or a Public Limited Company incorporated in India or Hindu Undivided Firm. The Composition of the partnership, names of Directors or companies and name of the Karta of Hindu Undivided Family shall be indicated. The contractors shall also nominate person in whose hands the active Management and control of the work relating to the contract during the tenure of the contract would lie. The person so nominated shall be deemed to have power of attorney from the contractor(s) in respect of the contractor and whose acts shall be binding on the contractor(s).
- b) The contractors shall not during the currency of the contract, make, without the prior approval of the CPCB any change in the constitution of the firm. The contractors shall notify, to the CPCB the death/resignation of any of the partner(s)/director(s) immediately on the occurrence of such an event. On receipt of such notice the CPCB shall have the right to terminate the contract at its discretion.

IV SUBLETTING

The contractor(s) shall not sublet transfer or assign the contract or any part thereof without the prior written approval of the CPCB. In the event of the contractors contravening this condition the CPCB is entitled to terminate the contract and to get the balance items under the contract extended at the risk and cost of the contractor and the contractor(s) shall be liable for any loss or damage which the CPCB may sustain in consequence or arising out of such replacing of the contract.

V RELATIONSHIP WITH THIRD PARTY

All transaction between the contractor(s) and the third party shall be carried out as between two principals without reference in any event to the CPCB. The Contractors(s) shall also undertake to make third party fully aware of the position aforesaid.



VI LIABILITY FOR PERSONNEL

All persons employed by the contractor(s) shall be engaged by them/him as his/their own employees in all respects and the responsibilities/obligations under contract Labour (R&R) Act 1970, the Indian Factory Act the Workmen compensation Act 'Employees Provident Fund Act' and under minimum wages Act and various other statutory enactments shall be that of the contractor.

(a) The contractor shall indemnify the CPCB against all the claims whatsoever in respect of the said personnel and workmen compensation act, EPF Act, ESI Act, or any other statutory/Provisions or otherwise in respect of any damage, penalty, compensation, interest, fines payable in consequence of any accident or injury sustained by any worker of the Contractor. The contractor shall Co-ordinate with ESI authorities to get the family treatment card for security guards.

(b) The contractors shall during the period of contract pay not less than minimum wages to the Security guard engaged by them on either time rate basis or piece rate basis on the work, throughout the term of the contract. Minimum wages both for the time rate and for the piece rate, work shall mean the rates notified by appropriate authority and prevailing at the time of inviting tenders for the work as amended from time to time. The contractor shall also maintain such records and submit periodical return, regularly as may be prescribed under the act to the authority prescribed under the Provident Fund Act, 1952 and the scheme and the rules there under.

The contractor shall also make available such returns/records for inspection by the CPCB authorized person. The contractor shall maintain necessary record and registers like wages book and wage slip, etc. register of unpaid wages and register of fines and deductions given the particulars as indicated in Appendix -III

c) **WEEKLY OFF**

The Contractor shall be liable to allow paid weekly off etc. to the personnel employed by him as mandated under the appropriate State/Central laws governing their employment under him.

- i)- The relieving charges will be payable for the Security Guard which are engaged for all the days in a month because the minimum wages is payable for 26 working days where four/five holidays are allowed.
- ii) Security Guards used in the office for the purpose other than security are already availing weekly off of four or more days thus; in those cases no relieving charges will be applicable.
- iii) The Agency will be directed to ensure that no Security Guard is required to discharge duty for more than 8 hours.

d) WASHING FACILITY:

The contractor is liable to provide washing facilities as provided in the contract Labour (Regulation and Abolition) Act and the rules framed there under or any other applicable law.

e) FIRST AID FACILITY:

The Contractor is liable to provide first Aid Facility as provided in the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act and the Rules framed there under or any other applicable law.

VII PERIOD OF CONTRACT:

The contract shall remain in force for all purpose for a period of one year extendable on mutual consent for further period of one or more year **on the same terms and condition except escalation in minimum wages as revised by Labour Department from time to time** or such later date as may be decided by the Chairman, CPCB. But the Chairman, CPCB reserves right to terminate the contract at any time during its currency without assigning any reason there of by giving thirty days notice in writing to the contractor(s) at their last known place of residence/business and the contractors shall not be entitled to any compensation by reason of such termination. The action of Chairman, CPCB under this clause shall be final conclusive and binding on the contractors and shall not be called in question. The contractor shall ensure that no security guard should allow to work more than statutory working hours i.e 08 hours per day.



VIII. SUMMARY TERMINATION

- (a) In the event of the contractors having been adjudged insolvent or goes into liquidation or winding up their business or making arrangements with their creditors or failing to observe any of the provisions of this contract or any of the terms and conditions governing the contract, CCB shall be at liberty to terminate the contract forthwith without prejudice to any other rights or remedies under the contract and to get the work done for the unexpired period of the contract at risk and cost of the contractors and to claim from the contractors any resultant loss sustained or cost incurred.
- (b) Chairman, CPCB shall also have without prejudice to other rights and remedies, the right in the event of breach by the contractors of any of the terms and conditions of the contract to terminate the contract forthwith and to get the work done for the un-expired period of the contract at the risk and cost of the contractors and/or forfeit the security deposit or any part thereof for the sum or sums due for any damages, losses, charges, expenses or costs that may be suffered or incurred by the CPCB due to the contractor's negligence or unworkmanlike performance of any of the services of the services under the contract.
- (c) The contractor shall be responsible to supply adequate and sufficient security personnel/guards under the contract in accordance with the instructions issued by the I/c ZOL or an officer acting on his behalf. If the contractor fails to supply the requisite number of security personnel's, the I/c ZOL shall at his entire discretion, without terminating the contract be at liberty to engage other security personnel's at the risk and cost of the contractor(s), who shall be liable to make good to the CPCB all additional charges, expenses, cost of losses that the CPCB may incur or suffer thereby. The contractor shall not however, be entitled to any gain, resulting from entrustment of the work to another party. The decision of the Chairman, CPCB shall be final and binding on the contractor(s).
- (d) Failure to carry out the work in conformity with the contract agreement or to comply with any of the terms of the contract.
- (e) Failure to carry out the work in accordance with time schedule and /or fails to safeguard CPCB interest.
- (f) Due to incidences of indiscipline and improper supervision on the part of the contractor.

- (g) If the registration under PSARA or registration any other appropriate authority is cancelled or withdraw.
- (h) If the successful bidder abandons the work.
- (i) Distress execution of any other legal process being levied on or upon the contractor's 'goods', ' persons' and assets.
- (j) If the successful bidder or any person employed by the successful bidder, offers or accepts for any purpose connected with the contract, any gift, royalty, commission, gratification or other inducement (whether in cash or kind) to/from any employee of the CPCB.
- (k) If, during the continuance of the contract, the contractor becomes bankrupt, makes arrangement with his creditors or permit any execution to be levied or goes into liquidation whether compulsory or voluntary including voluntary liquidation for the purpose of amalgamation or reconstruction.
- (l) If CPCB decides not to execute the work for any reason whatsoever, then in such case CPCB shall have the right/power to terminate the contract. No compensation shall be payable to the successful bidder in the event of such termination.
- (m) In the event of termination of the contract, the successful bidder shall have to vacate the site/premises peacefully and remove the personnel deployed by him within stipulated period.

If the successful bidder fails to comply with any obligation as mentioned above & In the event of termination of the contract for reason (s) aforesaid the CPCB reserves the right to get the balance work executed through alternate source(s) at the risk and cost of the contractor and the security deposited of the contractor shall stand forfeited.

IX SECURITY DEPOSIT:

- (a) The contractor(s) shall furnish within seven days from the acceptance of their tender, security deposit as prescribed in the invitation to tender failing which the contract shall be liable to cancellation at the risk and cost of the contractor(s) and the EMD will be forfeited and subject to such other remedies, as may be open to Chairman, CPCB under the terms of the contract
- (b) The security should be deposited in prescribed forms given in the Appendix-II

- (c) The CPCB shall not be liable for payment of any interest on the security deposit or by depreciation thereof for the time it is held by the CPCB.
- (d) The Security will be refunded to the contractor(s) without interest on due and satisfactory performance of the services and on completion of all obligations by the contractor(s) under the terms of the contract and on submission of a 'No Demand Certificate' subject to such deduction from the security, as may be necessary for making the CPCB claims against the contract.
- (e) In the event of termination of the contract, Chairman, CPCB shall have the right to forfeit the entire or part of the amount of security deposit lodged by the contractor(s) or to appropriate the security satisfaction of any sum due to be claimed for any damages, losses, charges, expenses or cost that may be suffered or incurred by the CPCB.
- (f) The decision of the Chairman, CPCB in respect of such damages, losses, charges, costs, or expenses shall be final and binding on the contractor(s).
- (g) In the event of the security being insufficient or if the security has been wholly forfeited, the balance of the total sum recoverable as the case may be, shall be deducted from any sum then due, or which any time thereafter become due to the contractor(s) under this or any other contract with the CPCB should that sum also be got sufficient to cover the full amount recoverable, the contractor shall pay to the CPCB on demand the remaining balance due.
- (h) Whenever the security deposit falls short of the specified amount the contractor(S) shall make good the deficit so that the specified amount the contractor(s) shall make good the deficit so that the total amount of security deposit, shall not at any time be less than the specified amount.

X LIABILITY OF CONTRACTOR(S) FOR LOSSES ETC. SUFFERED BY THE CPCB

- (a) The contractor(s) shall be liable for all costs, damages, expenses suffered or incurred by the CPCB due to the contractor's negligence and the unworkmanship like performance of any service under his contract or breach of any terms thereof or their failure to carry out the work with a view to



avoid incurrence of damages etc. and for all damages or losses occurred to the CPCB or in particular to any property or plant belonging to the CPCB due to any act whether negligent or otherwise of the contractor(s) themselves or their employees. The contractor(s) shall also be liable for the interest at commercial lending rate on costs/damages/expenses. The decision of the Chairman, CPCB regarding such failure of the contractor(s) and their liability for the losses, etc. suffered by the CPCB shall be final and binding on the contractor(s)

- (b) In the event of the default on the part of the contractor(s) in providing Security Guard/and/or their failure to perform any of the services mentioned in this agreement efficiently and to the entire satisfaction of the Chairman, CPCB or any officer acting on his behalf, the Chairman CPCB shall without prejudice to other right and remedies, under this agreement have the right to recover by way of compensation from the contractor a sum of rupees one hundred per day of default as the Chairman, CPCB in his absolute discretion and the decision of the Chairman, CPCB on the question whether the contractor(s) have committed such default or have failed to perform any such service efficiently and are liable to pay compensation and as to quantum of such compensation shall be final and binding on the contractor(s).

(c) SET-OFF

Any sum of money due and payable to the contractor(s) (including security deposit returnable to them) under this contract may be appropriated by the CPCB and set off against any claim of the CPCB for the payment of any sum of money arising out of or under any other contract made by the contractor(s) with the CPCB.

XI BOOK EXAMINATION:

The contractor(s) shall, whenever required produce or cause to produced for examination by the I/c ZOL. or any other officer authorized by him on his behalf any cost or other accounts book of accounts, vouchers, receipts, letters, memorandums or writings or any copy of or extract from any such document and also furnish information and returns, verified in such manner as may be required by the statutory compliance/payment made to EPF/minimum wages etc., renewed

ms

license any or all such documents desires by CPCB I/C ZOL. The decision of the I/c ZOL on the question of relevancy of any document, information or return shall be final and binding on the contractor(s). The contractor(s) shall produce the required document, information and returns as at such time and place, as may be directed by the I/c ZOL.

XII. PAYMENT:

- (a) Indicative list of statutory payments to be made in respect of personnel employed by the contractor under this contract are as under:
- (1) minimum wages
(Minimum wages are applicable for Security Guard under unskilled category as duly notified by Central Govt. from time to time, as the case may be)
 - (2) ESIC
 - (3) EPF
 - (4) Bonus
 - (5) Relieving charges
 - (6) Service tax
 - (7) Such other statutory charges, if any,

The above list of statutory payment is only indicative and not exhaustive. The contractor shall abide by all statutory provisions applicable to the contract and make all necessary statutory payments. However, on the production of proof of such statutory payment/return corporation may release the same subject to the condition of the contract.

- (b) Payment will be made by CPCB on submission of bills in duplicate supported by attendance as verified by the concerned officers by CPCB and on production of proof of payment of EPF/Minimum wages/ESI and other statutory payments in respect of the personnel engaged in CPCB.
- (c) The contractor should submit all his/their bill by the seventh of following month. payment of which will be made through Account Payee Cheque to the contractor(s)
- (d) - The firm will made payment to the security personnel deputed in CPCB by Account Payee cheques or by directly crediting the bank account of the security personnel.



XIII LAW GOVERNING THE CONTRACT/DISPUTE RESOLUTION:

The contract will be governed by the Laws of India, for time being in force as amended from time to time. Any disputes arising out of this contract will be settled in the court of Law of competent jurisdiction. The courts in Delhi shall have exclusive jurisdiction to adjudicate the disputes arising under the contract.

XIV. DUTIES AND RESPONSIBILITY OF THE CONTRACTOR(S):

- (a) The contractor(s) shall carry out all items of services assigned or entrusted to him/them by the I/C ZOL. or an officer acting on his behalf and shall abide by all instructions issued to him/them from time to time by the said officer. They shall render the services to the satisfaction of the I/C ZOL. or an officer acting on his behalf together with ancillary and incidental duties, service and operations as may be indicated by the said officer(s) and are not inconsistent with the terms & conditions of the contract. The contractor shall always be bound to act with responsible delegacy and in a business like manner and to use such skill as expected of men or ordinary prudence in the conduct of their activities.
- (b) The contractor shall engage competent adequate staff and Security Guard personnel to the satisfaction of the I/C ZOL. or an officer acting on his behalf. The contractor shall be responsible for the good conduct of their employees and shall compensate the CPCB for losses arising from neglect, carelessness, want of skill or misconduct of themselves, their servant or agents or representatives, The I/C ZOL. shall have the right to ask the dismissal of any employee of contractors who in his opinion is hampering the smooth execution of the work and his decision regarding losses caused by neglect and misconduct etc. of the contractors, their servant and agents of representative shall be final and binding on the contractor.
- (c) The contractors shall advise the Incharge, Zonal Office Lucknow and officers authorized to act on his behalf the name of one or more responsible representative(s) authorized to act on their behalf in day to day working of the conduct. It shall be duty of such representative(s) to call at the office of the I/c, ZOL. or an officer acting on his behalf, every day and generally to remain in touch with them to report the progress and generally to take instructions in the matter.

- (d) The contractors shall strictly abide by Laws, rules & Regulations.
- (e) The contractor shall provide verifiable proof that EPF/ESI has been deposited in respect of particular workers, working under the Contractor who are working in CPCB along with the EPF/ESI number issued by concerned authorities. A copy of ESI card also be deposited with CPCB within one month period even in case of change of worker, failing which payment will not be released subsequently for the aforesaid period, without prejudice to the other actions.
- (f) Police verification of the worker should be submitted within a period of one month on entering into the contract. In the case of change of any worker, payment of wages for that worker will be release only after submission of police verification.
- (g) If the party fails to comply with the statutory/legal requirement, as stipulated in the terms & conditions of the tender within two months from the award of contract is liable to be terminated with one month's notice and security deposit be forfeited and in his place, second lowest/third lowest will be kept as back up to immediately to replace the terminated agency.

Settlement of Dispute and Arbitration

- I. All disputes and differences arising out of or in connection with the contract and works of any nature assigned under the same (whether during the progress of the works or after their completion), determination, abandonment or breach of the contract shall be referred to a team of three men arbitrator appointed by the Chairman, CPCB. The arbitrators shall elect an umpire among them. In case of conflicting findings by the arbitrators, the decision of the umpire shall be final and binding. It will not be an objection to any such appointment that the arbitrators are the government servants and had any interest in the board or the contract entered into directly or indirectly. In all cases, the arbitrators shall state their decision in writing and if amount of claims in dispute is Rs.50,000/- and above, the arbitrators shall give reasons for award.

Subject as aforesaid the provisions of the arbitrations cancellation act or any statutory modification or re-enactment thereof and the rules made there under and for the time being inforce shall apply to the arbitration proceeding under this clause.



- II. It is a term of the contract that the party involving the arbitration shall specify the dispute or dispute to be referred to the arbitrator under this clause together with the amount or amounts claimed in respect of each such dispute.
- III. It is also a term of the contract that if the contractor's do not make any demand for arbitration in respect of any claims in writing within 90 days of receiving the intimation from the CPCB that final bill is ready for payment, the claim of the contractor's will be deemed to have been waived and absolutely barred and the board will be discharged and released of all liabilities under the contract in respect of these claims.
- IV. The decision of the employer regarding the quantum of reduction as well as justification thereof in respect of rates for sub-standard work which may be decided will be final and would not be open to arbitration. Provided always that no compensation shall be payable for any loss in always that no compensation shall be payable for any loss in consequence of hostilities or war-like operation (a) unless the contractor had taken all such precautions against Air raid as are deemed necessary by A.R.P officers or the Engineers In Charge, (b) for any materials etc., not on the site of work or for any tools and plant, machinery, scaffolding temporary buildings and other things not intended for the work.

In the event of the contractor having to carry out reconstruction as aforesaid, he shall be allowed such extension of time for its completion as is considered reasonable by the employer compliance within such time as the employer may prescribe in that behalf and in the event of the contractor failing to effect such compliance within the time prescribed by the employer then the employer shall without prejudice to his other rights be entitled to withhold from the amount payable to the contractor any amount payable to the workmen under any such laws, regulations or rules and to make payment thereof to the workmen. The employer shall also have in that event the right to terminate the contract with immediate effect and to exercise powers reserved to their employer under the contract as a result of termination

Signature of Tenderer

my

TERMS & CONDITIONS COVERING CONTRACT FOR PROVIDING SECURITY SERVICE BY SUPPLY OF SECURITY GUARDS AT CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD, LUCKNOW & PROJECT OFFICE, AGRA

1. Security contractor will provide security Guard arrangement for round the clock. Security of CPCB, Zonal Office & Project Office, Agra property, personnel and vehicles etc. belongings of CPCB. The contractor shall ensure the safety and security of the CPCB personnel, properties and vehicles in CPCB by deploying guards following shifts for 365 days of a year:-
- 2.

Shift	Time	Security Guard for Zonal Office, Lucknow			
		Office premises		Vikas Khand Monitoring station	Jajmau, Kanpur Lypholizer plant
		G.F.	F.F.		
1 st shift	06.00 a.m. to 02.00 p.m.	1	1	1	1
2 nd shift	02.00 p.m. to 01.00.p.m.	1	1	1	1
3 rd shift	10.00 p.m. to 06.00 a.m.	1	1	1	1
General shift	9.30 a.m. to 06.00 p.m.	1 (one Guard for Parking (Mon. to sat.))		-	-

Shift	Time	Security Guard for Project Office, Agra			
		Office premises	Nanuhai Monitoring station	Rambagh Monitoring station	Atmaddaula Monitoring station
1 st shift	06.00 a.m. to 02.00 p.m.	1	1	1	1
2 nd shift	02.00 p.m. to 10.00.p.m.	1	1	1	1
3 rd shift	10.00 p.m. to 06.00 a.m.	1	1	1	1

3. The security contractors will undertake to provide the armed/unarmed personnel to the CPCB, and the security contractors will be directly responsible for payment of their salaries not less than the rates of minimum of wages notified by the appropriate Authorities from time to time.
4. The contractors shall quote his service charges inclusive of all taxes for providing the security service.
5. In case the minimum wages revised upward, the contractor is not entitled for any revision of his service charges.
6. The minimum wages are applicable for security Guard under un-skilled category whereas for Security supervisor, minimum wages are applicable under skilled category as notified by Central Govt. from time to time.
7. The successful bidder shall ensure payment of wages to security guards at the rate of minimum wages prescribed by the Labour Department, Govt. of India from time to time. It is important to note that the payment of wages should be made to the personnel deployed by the successful bidder without waiting for the receipt of payment of the wage bill form CPCB. The successful bidder will be required to make payment of wages to the security personnel through Bank Accounts in a time specified under The Payment of Wages Act 1936 and Minimum Wages Acts & Rules 1948. The successful bidder shall submit bank statement in support to such payment along with the monthly bill. No cash payment of wages will be allowed by the Company. Non-compliance of the provisions/stipulation of these Acts will render the Agency liable to payment of necessary compensation/penalty as deemed fit by CPCB. Wage register as per labour laws shall be compulsorily maintained by the successful bidder which should be available for inspection at any time by the CPCB official or their authorized representative.
8. The security guards will be of retired person from Military /Para military force/ civilian.
9. The persons engaged by the successful bidder should possess minimum qualification not below the standards of Matriculation/HS or equivalent.
10. The CPCB shall have no right/obligation to employee directly or indirectly any personnel introduction by the security contractor.

ref

11. The successful bidder shall keep proper record of all the documents regarding character antecedents of the security personnel engaged by them and when required, the successful bidder shall submit the same to the officer-in-charge for necessary verification. It is a precondition that while employing security personnel, the successful bidder shall take adequate care that no such person having criminal background is employed as security personnel. Persons dismissed from defence service and/or involved in or having previous record of antisocial activities should not be deployed in the company's establishment. In case any adverse report is found against any security personnel deployed by the successful bidder, such personnel would immediately be removed. The successful bidder shall discourage engagement of any near relatives of employee of the company as security personnel. However if such instances are there, then relevant data on such employees of the successful bidder should be furnished to the officer-in-charge of the contract.
12. in case of any negligence, connivance or direct/indirect involvement of any personnel deployed by Security contractors for security and safety of the property of the CPCB, or there being occurred any theft, pilferage, misappropriation, bungling of stocks/stores or any other loss the CPCB property for whatsoever reason the security contractor will be responsible and liable to compensate the losses as evaluated by the Chairman, CPCB, Delhi or any other authorized officer of the CPCB. The decision of the Chairman, CPCB shall be final and binding on Security contractor.
13. The security contractor shall be responsible for providing uniform to the Security Guards.
14. If CPCB considers that the replacement of a particular Security Guard personnel supplied by the Security contract is necessary, this will be done by the Security contractor on receipt of the written request from the CPCB.
15. The CPCB will not be responsible in any respect with regard to service conditions, salaries and conduct of the personnel provided by the Security Contractor. The Security Contractor will be the employer of the Security Guard personnel and the CPCB will have to concern/liability whatsoever in respect of their service.
16. The Security Guard personnel provided by the security contractor shall have no lien of claim in any manner on CPCB after their services are no more required by the CPCB or during their deployment. In case, the Security Guard personnel

ay

resort to litigation in any court for any reason, the security contractor will be solely responsible towards verdict of the court, at its own cost. The security contractor is liable for expenses, losses and damages, if any, due to his employees, any claim or suit or any such proceedings against CPCB and CPCB is entitled to deduct the sum from the pending or future bills of the security contractor.

17. The Security personnel of Security contractor will not take part in any activity of CPCB employee's union/Association as well as visitors.
18. Only trained and experienced Security Guards personnel will be supplied to the CPCB. The contractor shall also provide the nominal roll of the Security Guard personnel along with their photographs to the CPCB. The Character/antecedents verification of Security Guard so engaged will be got carried out by the contractor to the satisfactions of CPCB at the cost of Security contractor from the concerned police authorities within one month of their engagement and each Security Guard will be provided with an identity card by the security contractor which will be countersigned by the security contractor.
19. The Security Guard personnel engaged by the Security contractor will help to deal with the antisocial elements and will also provide protection to CPCB staff/officers while on duty to CPCB office.
20. The security contractor will pay the wages, advances and any other payments regularly to the Security Guard personnel deployed in the presence of an officer/official of CPCB.
21. The Contractor is liable to provide his own personnel and can not take over the existing personnel if any of the earlier contractor. Upon termination of the contract, the contractor is liable to remove all his personnel from the premises of the CPCB failing which CPCB will be entitled to stop all payments due to the contractor.
22. The security guards to be deployed by the firm must have passed at least class 10 and must have working knowledge of Hindi/English. The security firm shall have to maintain registers as required by the Central Pollution Control Board from time to time at their cost. The firm shall submit copies of the discharge certificates and proof of educational qualification of the security guards at the time of execution of agreement and get them verified by the Central Pollution Control Board before



- deploying the security guards. The document shall also be verified for any change in the security guards.
23. The CPCB will provide a table chair and telephone with intercom facility, if necessary to the security guards. The stationary shall be provided by the firm.
 24. The security guards to be engaged by the firm must be of sound health and their character and antecedents must be verified and approved by the competent authority, if any of them is not found medically fit including intoxication prior to or during the continuance of the contract then the firm shall not employ or engage them and the CPCB shall have right to refuse admission to such employees of the firm into CPCB premises.
 25. The firm shall keep CPCB indemnified from all acts, omission, faults, breaches and, or claim payments loss injury and expenses under which CPCB may be put or involved as a result of failure of firm to fulfill any of its obligations.
 26. The firm shall be wholly responsible for any loss or damage to the properties of the CPCB on account of any act or omissions by the firm or by any of his staff deployed for security purposes except natural calamities beyond our control.
 27. The firm shall at its own cost provide to their security personnel full winter and summer security uniforms' and shall also ensure that these are worn by them at all time while on duty in clean and tidy conditions.
 28. The firm shall provide to their security guards all the material necessary for security purposes like torch with cell, Gum-boot, sticks, shears, Guns, etc. at its own cost.
 29. Central Pollution Control Board reserves the right to ask the firm to remove any guard found to be not discharging his duties satisfactorily or doubtful character and firm will immediately remove such person or persons and replace them immediately with suitable persons.
 30. Central Pollution Control Board shall not provide any residential accommodation in the premises of the CPCB or elsewhere for the personnel deployed by the firm and the firm will have to make their own arrangement for their residence at their own cost.
 31. The firm at its own cost will provide identity cards to all guards/ gunmen or staff employed by them on duty. The identity cards shall be displayed on his person while on duty.
 32. The duty points and rotation of security guards employed by the firm will be decided by the CPCB Zonal Office, Lucknow and Project Office, Agra. The firm will

ag

have to abide by such directions as given by the CPCB regarding deployments of security personnel.

33. In case of any pilferage or theft the firm or his representative shall report the matter immediately to the ZOL. Div. of CPCB and shall also take-up the matter with the police for proper investigation and recovery of loss. If such a loss is due to negligence, absenteeism or by dereliction of duty by security personnel deployed by the firm, the same shall be recovered by the CPCB from the firm.
34. The contract will be terminated in case of any complaint regarding the services of the firms found unattended after 02 warnings.
35. The duties of security guards is as follows:-
 - i. Round the clock security of CPCB property, personals, lab instruments, Vehicles etc.
 - ii. Frisking of all staff working in CPCB.
 - iii. Switching off the lights, fans etc in toilets, lobby, rooms after office hours.
 - iv. Guidance to visitors for proper parking of vehicles.
 - v. Patrolling round the clock in CPCB, Zonal Office, Lucknow & Project Office, Agra building at each floor, front and back to avoid any theft.
 - vi. Opening of lock of rooms in the morning and closing in the evening on all working days at all floors.
 - vii. Protection of building property/personals from anti socials elements.
 - viii. Operation of main gates i.e. opening in the morning at 8.00 a.m. and closing in the evening at 6.30 p.m.
 - ix. Report to I/c or any other authoritative Officer Z. O. Lucknow & P.O. Agra in case of any mis-happening.

Tenderer's

i) Telegraphic Address: _____

Telephone No. _____

Signature of Tenderer

1. Name and address of the tenderer and telegraphic address:
-
-

II COMPOSITION OF TENDERER:

It should be state whether the tenderer is Hindu Joint Family, business proprietorship concern or registered partnership firm or a Limited Company. The name and date of birth of all partners/Director, Proprietors, Karta of Joint Family should be given. It should be certified that there are no undisclosed partners. In the case of Limited companies, the authorized and paid up capital should be stated.

III BUSINESS IN WHICH THE TENDERER IS EMPLOYED:

The nature of business in which the tenderer or partner of the tender's firm are engaged should stated together with particulars of where Head Office and branches if any, are located along with details of sister concern.

IV EXPERIENCE OF WORKING:

Full particulars should be given if the tenderer has worked as a Security contractor of the Central Govt. State govt. or Public/Private Companies. The period for which the work has been done should be clearly indicated. The tenderers should indicate clearly whether they are working as contractors on behalf of any departments of Central or State Governments or Railway etc. certificate of experience for preceding 3 years to be enclosed.

- V
- (a) Whether entered into any contract with CPCB earlier (if, given details)
 - (b) Whether EMD/Security deposit of the contractor has been forfeited by CPCB/any PSU/ State govt.
 - (c) In case, the firm is black listed by any authority of Govt. of India, the same may be intimated to the CPCB.

Note: The tenderers who's EMD/SD has been forfeited or black listed by the Govt. of India, will not be qualified.

ry

VI TENDERERS BANKS:

The name of the Bank or the Banks and the branches with the tenderer has dealings and who can certify the tenderer financial status should be given and necessary certificate to this effect.

VII Duly audited P&L account of preceding three years.

VIII Details of credit limit charged.

IX Income Tax Pan No.

X Details of immoveable properties:

a) Type of properties:

b) Identification No. with address:

c) Owned in the name of:

XI List of participants/ Director.

Signature of Tenderer



The security deposit shall be furnished in any of the following forms.

Forms of Security Money

Demand Draft/Bank Guarantee in favour of CPCB

Conditions

CPCB will not pay any interest on the security deposit.

Signature of Tenderer

From -I

REGISTER OF FINES/WAGE BOOK/WAGE SLIP/PNPAID WAGES/DEDUCTIONS IF ANY OTHERS:-

S.N.	Name	Father's/ husband's name	Sex	Department	Nature & date of the offence for which fine imposed	Whether workman showed caused against fine or not. If so enter date	Rate of wages	Date & Amount of which fine imposed	Date on which fine released (remarks)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

any

PRICE BID

To,

The Incharge,
Central Pollution control Board
Zonal Office, PICUP Bhawan,
Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow

- Dear Sir,
1. I/WE, submit the sealed price bid for appointment as _____ Contractor at CPCB _____.
 2. I/We thoroughly examined and understood instruction to tenders, terms & conditions of contract given in the invitation to tender and those contained in the general conditions of contract and its appendix and agree to abide by them.
 3. I/We hereby offer to provide security at the following percentage of service charge on the basic minimum wages notified by the Central Govt. as the case may be, applicable at the time of award of the contract for the contract for the entire tenure of the contract. I/WE undertake that I/WE are not entitled to claim any enhancement of rates on any account during the tenure of the contract except revision of minimum wages.

	Security guards for Z.O .Lucknow (Non Ex-serviceman) 08 Hours (charges per month in Rs.)			Security guards for P.O. Agra (Non Ex-serviceman) 08 Hours (charges per month in Rs.)		
	Per person	13 person	Total	Per person	12 person	Total
Minimum wages						
ESIC						
EPF						
Bonus						
Service Charge						
Service Tax						
Any other charges, if any						



Any rates quoted in any other manner than the above will summarily rejected. In case the minimum wages is revised upward, the contractor is not entitled for revision of his service charges.

- a. I/We undertake to take responsibility of statutory liabilities such as minimum wages. ESIC, EPF, Service Charge, Service etc. and will charge as per actual contribution made to concerned authorities against documentary proof and no service charges/Admn, overhead will be payable on these contribution.
- b. The total amount of wages shall be calculated on the basis of number of days for which a person has actually worked on the basis of wages of Security Guard accepted by CPCB.

I/WE agree to keep the offer open for acceptance up to 03 months.

4. I/We shall be bound by the communication of acceptance of the offer dispatched within the time and I/We also agree that if the date up to which the offer would remain open be declared a holiday for the CPCB, the offer will remain open for 11. _____ dated _____ for sum of Rs. _____ (Rupees _____) is enclosed with the technical bid as earnest money. In the event of my tender being accepted, I/We agree to furnish a security deposit as follows (here indicate the manner in which security is deemed to be furnished).

5. I/We do hereby declare that the entries made in the tender and appendixes/schedules attached with Technical Bid are true and also that we shall be bound by the act of my/our duly constituted attorney, Shri _____ whose signature are appended hereto in the space as specified for the purpose and of any other person who in future may be appointed by me/us his stead to carry on the business of the concern whether any intimation of such charge is given to the Zonal Incharge, CPCB or not

Yours faithfully,

(_____)

(Capacity in which signing)
Signature of Tenderer